



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05102023-249165
CG-DL-E-05102023-249165

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 246]
No. 246]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 29, 2023/ आश्विन 7, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 29, 2023/ ASVINA 7, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2023

अंतिम जांच परिणाम

मामला सं. एडी(ओआई) 04/2022

विषय: ईरान और थाईलैंड के मूल की अथवा वहाँ से निर्यात किए गए "सिंथेटिक ग्रेड जिओलाइट 4ए" के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच।

क. मामले की पृष्ठभूमि

फा. सं. 6/5/2022-डीजीटीआर.- 1. मैसर्स गुजरात क्रेडो मिनरल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" या "घरेलू उद्योग" भी कहा गया है) ने ईरान और थाईलैंड (जिन्हें आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा निर्यात किए जाने वाले सिंथेटिक ग्रेड जिओलाइट 4ए (जिसे बाद में 'संबद्ध वस्तु' या 'विचाराधीन उत्पाद' भी कहा गया है) के आयात पर पाटनरोधी जांच शुरू करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसे इसके बाद "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क

टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण और क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली 1995 (इसे इसके बाद "नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके बाद इसे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष निर्धारित फॉर्म और पद्धति में एक आवेदन दायर किया।

ख. प्रक्रिया

2. जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है।

- i) प्राधिकारी ने दिनांक 30 सितंबर 2022 की अधिसूचना संख्या फा. सं. 6/05/2022-डीजीटीआर के माध्यम से भारत के राजपत्र में एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की, जिसमें संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने की जानकारी दी गई।
- ii) प्राधिकारी ने प्रश्नावलियों के साथ सार्वजनिक नोटिस की एक प्रति भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, सभी ज्ञात निर्यातकों, आयातकों और उपयोगकर्ताओं (जिनका विवरण आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया था) को अग्रेषित की और उन्हें पाटनरोधी नियमों के नियम 6 (2) के अनुसार लिखित में अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने का अवसर दिया। उन्हें अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से या पत्रों की तारीख से तीस दिन के अंदर उत्तर देने की सलाह दी गई थी।
- iii) प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमों के नियम 6 (3) के अनुसार ज्ञात निर्यातकों और संबद्ध देशों के दूतावासों को आवेदन के अगोपनीय रूपांतरण की एक प्रति प्रदान की। अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर उन्हें भी आवेदन की एक प्रति प्रदान की गई थी।
- iv) प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमों के नियम 6 (4) के अनुसार संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्नावलियाँ भेजीं:

क्र. सं.	ज्ञात उत्पादक का नाम	क्र. सं.	ज्ञात उत्पादक का नाम
1.	वी.सी.एस. सप्लाय कंपनी लिमिटेड	2.	पी.क्यू. केमिकल्स थाईलैंड लिमिटेड
3.	थाइसिलिकेट केमिकल्स कंपनी लिमिटेड	4.	जेटाकेम इंटरनेशनल
5.	बेहदश केमिकल कंपनी		

- v) थाईलैंड के उत्पादक/निर्यातक पीक्यू केमिकल्स (थाईलैंड) लिमिटेड और मैसर्स यूनिलीवर एशिया प्राइवेट लिमिटेड ("यूएपीएल"), सिंगापुर और मैसर्स यूनाइटेड रॉ मटेरियल प्राइवेट लिमिटेड ("यूआरएमपीएल"), सिंगापुर ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है।
- vi) भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/उपयोगकर्ताओं को भी प्रश्नावलियाँ भेजी गई थीं जिसमें पाटनरोधी नियमों के नियम 6 (4) के अनुसार आवश्यक जानकारी मांगी गई थी:

क्र. सं.	ज्ञात आयातक/उपयोगकर्ता का नाम	क्र. सं.	ज्ञात आयातक/उपयोगकर्ता का नाम
1	मैसर्स प्रॉक्टर एंड गैबल होम प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	2	मैसर्स ए एल ए केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
3	मैसर्स आदित्य फाइनकेम प्राइवेट लिमिटेड	4	मैसर्स सोनेको मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
5	मैसर्स अग्रवाल मिनरल्स	6	मैसर्स प्रीवेस्ट डेनप्रो लिमिटेड
7	मैसर्स बेसिल प्रॉम्प्ट विनाइल प्राइवेट लिमिटेड	8	मैसर्स प्लेटिनम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (देयता भागीदारी)
9	मैसर्स बैरलोचर इंडिया एडिटिव्स प्राइवेट लिमिटेड	10	मैसर्स सुदर्शन मिनकेम लिमिटेड
11	मैसर्स एसोसिएटेड स्टैबप्लास्ट एंड केमिकल्स	12	मैसर्स सान ग्लोबल लिमिटेड

13	मैसर्स भवानी केमिकल्स	14	मैसर्स श्रेष्ठ केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
15	मैसर्स इंडो रीजेन्स पॉलिमर एडिटिव्स प्राइवेट लिमिटेड	16	मैसर्स सुब्रे कैटल केम प्राइवेट लिमिटेड
17	मैसर्स ज्योति विनाइल लिमिटेड	18	मैसर्स वाघानी इनकोर्पोरेटेड
19	मैसर्स गैलाटा केमिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	20	मैसर्स श्री साई नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
21	मैसर्स ललिता केम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	22	मैसर्स निर्मेश इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
23	मैसर्स ग्लोबलार्क कॉर्पोरेशन एलएलपी	24	मैसर्स स्टैबप्लास्ट केमो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
25	मैसर्स फेथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड	26	मैसर्स ओहम इंटरनेशनल
27	मैसर्स इंडोफिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	28	मैसर्स मानव ग्लोबलट्रेड
29	मैसर्स प्लेटिनम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड		

vii) भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयातक मैसर्स सुदर्शन मिनकेम लिमिटेड ने आयातक प्रश्नावली का उत्तर दाखिल किया। उपयोगकर्ता प्रश्नावली का उत्तर केवल हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

viii) प्राधिकारी ने बाद में सभी हितबद्ध पक्षकारों और संबंधित मंत्रालय को आर्थिक हित प्रश्नावली भेजी। प्राधिकारी ने ईक्यूआर/आईक्यूआर/यूक्यूआर दाखिल करने की समय सीमा 25 नवंबर 2022 तक बढ़ा दी और फिर इसे 28 नवंबर 2022 तक बढ़ा दिया। आर्थिक हित प्रश्नावली निम्नलिखित द्वारा प्रस्तुत की गई थी:

- क) पीक्यू केमिकल्स (थाईलैंड) लिमिटेड (निर्माता/निर्यातक)
- ख) यूनिलीवर एशिया प्राइवेट लिमिटेड (व्यापारी)
- ग) यूनाइटेड रॉ मटेरियल प्राइवेट लिमिटेड (व्यापारी)
- घ) सुदर्शन मिनकेम लिमिटेड
- ङ) हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड

ix) प्राधिकारी ने आगे नोट किया कि प्राधिकारी द्वारा समय-सीमा बढ़ाते हुए कई अवसर प्रदान किए जाने के बाद भी ईरान के निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

x) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई जानकारी की ऐसे दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। इससे संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहाँ आवश्यक है वहाँ गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है, और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया गया है। जहाँ भी संभव हो, गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाले पक्षों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई जानकारी का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतरण प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।

xi) आवेदक से आवश्यक सीमा तक और जानकारी मांगी गई थी।

xii) वर्तमान जांच के उद्देश्य से घरेलू उद्योग का सत्यापन आवश्यक सीमा तक किया गया था।

xiii) उत्पादन लागत और घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना के आधार पर लेखांकन के सामान्य रूप से स्वीकार्य सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तुओं को बनाने और बेचने की लागत के आधार पर क्षतिरहित कीमत (जिसे इसके बाद 'एनआईपी' कहा गया है) का निर्धारण किया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वर्तमान पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को होने वाले क्षति से बचाने के लिए पर्याप्त है।

xiv) वर्तमान समीक्षा के उद्देश्य से जांच की अवधि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 (12 महीने) है (इसके बाद "जांच की अवधि" या "पीओआई" भी कहा गया है)। क्षति के विश्लेषण की अवधि में जांच की अवधि और पिछले तीन वर्ष, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 शामिल थे।

- xv) पाटनरोधी नियमों के नियम 6 (6) के अनुसार, प्राधिकारी ने 10 मार्च 2023 को आयोजित मौखिक सुनवाई के दौरान हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे 24 मार्च 2023 तक अपने प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें। प्राधिकारी ने प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने की समय-सीमा 28 मार्च 2023 तक बढ़ा दी थी।
- xvi) प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक समझी गई सीमा तक हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई टिप्पणियों पर इस अंतिम जांच परिणाम में टिप्पणी की गई है।
- xvii) जहां कहीं भी किसी इच्छुक पक्ष ने वर्तमान जांच के दौरान आवश्यक जानकारी प्रदान करने से इनकार कर दिया है या अन्यथा जानकारी प्रदान नहीं की है, या जांच में काफी बाधा डाली है, वहाँ प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपनी टिप्पणी दर्ज की है।
- xviii) इस अंतिम जांच परिणाम में *** गोपनीय आधार पर एक हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत और नियमों के तहत प्राधिकारी द्वारा विचारित जानकारी को दर्शाता है।
- xix) अमेरिकी डॉलर को भारतीय रुपये में बदलने के लिए जाँच की अवधि के लिए विचारित विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 75.37 रुपये है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

3. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) और समान वस्तु के दायरे के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

ग.2 घरेलू उद्योग की टिप्पणियाँ

4. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणी की है:
- वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद 'सिंथेटिक ग्रेड जिओलाइट 4ए' है जिसे 'जिओलाइट 4 ए' के रूप में भी जाना जाता है।
 - जिओलाइट्स सुपरिभाषित संरचनाओं वाले सूक्ष्म छिद्रपूर्ण क्रिस्टलीय ठोस हैं। आम तौर पर, उनके ढांचे में सिलिकॉन, एल्यूमीनियम और ऑक्सीजन होते हैं और उनके छिद्रों के भीतर कैटियन, पानी और/या अन्य अणु होते हैं। बहुत से प्राकृतिक रूप से खनिजों के रूप में पाए जाते हैं और दुनिया के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर इनका खनन किया जाता है। अन्य सिंथेटिक हैं और विभिन्न उद्योगों में विशिष्ट उपयोगों के लिए व्यावसायिक रूप से बनाए जाते हैं। जिओलाइट का सामान्य सूत्र $\text{Na}_x[(\text{AlO}_2)_x(\text{SiO}_2)_y] \cdot z\text{H}_2\text{O}$ है।
 - पीयूसी मुख्य रूप से पानी को नरम करने वाले एक डिटर्जेंट बिल्डर के रूप में कार्य करता है, जिसके परिणामस्वरूप पानी नरम हो जाता है, जिससे समान सफाई के लिए कम साबुन की आवश्यकता होती है, क्योंकि साबुन कैल्शियम आयनों को साफ करने में बर्बाद नहीं होता है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

5. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "सिंथेटिक ग्रेड जिओलाइट 4 ए" है जिसे "जिओलाइट 4 ए" के रूप में भी जाना जाता है।
6. जिओलाइट सुपरिभाषित संरचनाओं वाले सूक्ष्म छिद्रपूर्ण क्रिस्टलीय ठोस है। आम तौर पर, उनके ढांचे में सिलिकॉन, एल्यूमीनियम और ऑक्सीजन होते हैं और उनके छिद्रों के भीतर कैटियन, पानी और/या अन्य अणु होते हैं। वे प्राकृतिक रूप से खनिजों के रूप में पाए जाते हैं और दुनिया के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर इनका खनन किया जाता है। अन्य सिंथेटिक हैं और विभिन्न उद्योगों में विशिष्ट उपयोगों के लिए व्यावसायिक रूप से बनाए जाते हैं।
7. सिंथेटिक ग्रेड जिओलाइट 4ए मुख्य रूप से डिटर्जेंट में एक बिल्डर के रूप में उपयोग किया जाता है। सिंथेटिक ग्रेड 4ए की आणविक संरचना इस प्रकार है: $\text{Na}_{12}[(\text{AlO}_2)_{12}(\text{SiO}_2)_{12}] \cdot 27\text{H}_2\text{O}$.

8. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अध्याय 28 के तहत सीमा शुल्क वर्गीकरण 2842 1000 के उप-शीर्षक के तहत वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

9. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

घ.2 घरेलू उद्योग के विचार

10. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग और उनकी स्थिति के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियाँ की हैं:

- यह आवेदन मैसर्स गुजरात क्रेडो मिनरल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जीसीएमआईएल) द्वारा किया गया है।
- आवेदक ने न तो संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है और न ही वे भारत में किसी आयातक या संबद्ध देशों के उत्पादक / निर्यातक से संबंधित हैं।
- भारत में संबद्ध वस्तु का एक और उत्पादक है, मैसर्स केमिकल इंडिया।
- नियम 2(ख) के अनुसार आवेदक का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का 'एक प्रमुख हिस्सा' है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

11. पाटनरोधी नियमों के नियम 2(बी) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

“(ख) घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

12. यह आवेदन मैसर्स गुजरात क्रेडो मिनरल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जीसीएमआईएल) द्वारा किया गया है। भारत में संबद्ध वस्तु का एक और उत्पादक है, मैसर्स केमिकल इंडिया। प्राधिकारी ने नोट किया है कि आवेदक का उत्पादन भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल घरेलू उत्पादन का लगभग ***% है। इसके अलावा, रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि आवेदक ने संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और न ही किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित है। इस प्रकार, आवेदक कंपनी नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग के रूप में पात्र है और आवेदन नियमों के नियम 5(3) के संदर्भ में मानदंडों को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

13. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई हैं:

- निर्यातक ने अपने प्रश्नावली के उत्तर में सभी प्रासंगिक आंकड़ों को निर्धारित प्रपत्र और पद्धति से दर्ज करने का प्रयास किया है। हालांकि, याचिकाकर्ता द्वारा इस बारे में लिखित टिप्पणियों में किए गए कथन निराधार हैं।
- याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित पहलुओं पर अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है - विनिर्माण प्रक्रिया, उत्पादन की मात्रा और मूल्य, क्षमता उपयोग के संबंध में औसत उद्योग मानदंड, प्रति दिन उत्पादकता, नियोजित औसत पूंजी के प्रतिशत के रूप में माल सूची और पीबीआईटी, बिक्री मात्रा, बिक्री मूल्य, निर्यात के लिए बिक्री प्राप्ति और सीमित खपत।
- निर्यातक द्वारा किसी अतिरिक्त गोपनीयता का दावा नहीं किया जा रहा है।
- उपयोगकर्ता ने निर्धारित प्रपत्र और पद्धति से अपनी प्रश्नावली प्रतिक्रिया में सभी प्रासंगिक आँकड़े दर्ज करने का प्रयास किया है। हालांकि, याचिकाकर्ता द्वारा इस बारे में लिखित टिप्पणियों में किए गए कथन निराधार हैं।

- v) ट्रेड नोटिस नंबर 10/2018 में उपयोगकर्ता को भारत में पीयूसी से जुड़ी सभी इकाइयों के विवरण, बेचे गए उत्पादों की सूची, पीयूसी का उपयोग करके निर्मित उत्पादों के लिए उत्पादन प्रक्रिया का उचित सारांश, पीयूसी के उपयोग विवरण से संबंधित जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।
- vi) उपयोगकर्ता द्वारा किसी अतिरिक्त गोपनीयता का दावा नहीं किया जा रहा है।

ड.2 घरेलू उद्योग के विचार

14. घरेलू उद्योग ने गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
 - i) थाईलैंड के निर्यातक ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करने में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।
 - ii) उत्तरदाता निर्यातक संबंधित पक्षों के साथ संबंध की प्रकृति, रोजगार, उत्पादकता, माल सूची, घरेलू और निर्यात बिक्री दोनों में प्रति इकाई बिक्री की लागत, लाभप्रदता आदि से संबंधित जानकारी प्रकट करने में विफल रहा है।
 - iii) थाईलैंड से एकमात्र उत्तरदाता उत्पादक संबंधित पक्षों, रोजगार, माल सूची, घरेलू और निर्यात बिक्री दोनों में प्रति इकाई बिक्री की लागत, लाभकारिता आदि का विवरण प्रकट करने में विफल रहा है।
 - iv) एकमात्र उत्तरदाता आयातक संबद्ध वस्तुओं के आयात की मात्रा और मूल्य के बारे में पूर्ण डेटा प्रदान करने में विफल रहा है।
 - v) उत्तरदाता आयातक संबंधित पक्षों के विवरण, प्रति इकाई बिक्री प्राप्ति, माल सूची, प्रति इकाई बिक्री की लागत, लाभकारिता और खरीद की मात्रा प्रकट करने में भी विफल रहा।
 - vi) एकमात्र उत्तरदाता उपयोगकर्ता प्रश्नावली के अपने उत्तरों में भारत में पीयूसी से जुड़ी सभी इकाइयों का विवरण, कंपनी द्वारा बेचे जाने वाले उत्पादों की सूची, पीयूसी का उपयोग करके निर्मित उत्पादों के लिए उत्पादन प्रक्रिया का उचित सारांश, पीयूसी के उपयोग का विवरण आदि प्रदान करने में विफल रहा है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

15. आवेदक के साथ-साथ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के संबंध में जांच के दौरान की गई विभिन्न टिप्पणियों की प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक मानी गई सीमा तक निम्नानुसार जांच की गई है।
16. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, नियमों के नियम 7 में निम्नानुसार प्रावधान है:

(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

17. प्राधिकारी समझते हैं कि कोई भी जानकारी जो गोपनीय प्रकृति की है (उदाहरण के लिए, क्योंकि इसका प्रकटीकरण किसी प्रतियोगी के लिए महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक लाभ का होगा या क्योंकि इसके प्रकटीकरण से जानकारी प्रदान करने वाले व्यक्ति या उस व्यक्ति पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे जानकारी प्राप्त की गई है), या जो जांच के

पक्षों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की जाती है, को सही कारण बताए जाने पर, प्राधिकारी द्वारा गोपनीय रखा जाना चाहिए। इस तरह की जानकारी प्रस्तुत करने वाले पक्ष की विशिष्ट अनुमति के बिना प्रकट नहीं की जा सकती है।

18. प्राधिकारी ने आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए गोपनीयता के दावों पर विचार किया है और इसके बारे में संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों की अनुमति दी है। प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतरण उपलब्ध कराया।

च. विविध टिप्पणियाँ

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

19. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित विविध टिप्पणियाँ की हैं:

- i) वर्तमान प्रक्रिया याचिका में प्रदान किए गए साक्ष्यों की सटीकता और पर्याप्तता की जाँच करने में विफल रही। प्राधिकारी ने ईरान के विरुद्ध जाँच शुरू किया, जिसके लिए याचिका में कोई पाटन मार्जिन का दावा नहीं किया गया है और यह पाटनरोधी नियमों के नियम 5 का उल्लंघन है।
- ii) याचिकाकर्ता द्वारा किए गए प्रयास यूएई के लिए घरेलू कीमतों और निर्यात कीमतों का पता लगाने के लिए थे, हालांकि, प्राधिकारी ने दर्ज किया कि याचिकाकर्ता द्वारा किए गए प्रयास ईरान के घरेलू मूल्य और निर्यात मूल्य को निर्धारित करने के लिए थे।
- iii) याचिकाकर्ता ने अपनी लिखित टिप्पणियों में पिछले दस वर्षों में संबद्ध वस्तुओं के आयात रुझान (कीमत और मात्रा) की तुलनात्मक स्थिति प्रदान की है। तथापि, ऐसे रुझान का आकलन केवल वर्तमान जाँच की क्षति की अवधि के लिए किया जाना है।
- iv) यहां तक कि अगर याचिकाकर्ता पीयूसी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया में है, तो भी यह याचिकाकर्ता के लिए शुल्कों की सुरक्षा की मांग करने का आधार नहीं हो सकता है, विशेष रूप से मूल तथ्यों में करणीयता की पूर्ण कमी को देखते हुए।
- v) याचिकाकर्ता के पिछले व्यवहार के कारण, उपयोगकर्ता उद्योग को इस बात की आशंका बनी हुई है कि क्या याचिकाकर्ता भारत में पीयूसी की मांग को पूरा करने में सक्षम होगा।
- vi) याचिकाकर्ता ने याचिका में एक संबद्ध देश (ईरान) के खिलाफ पाटन का कोई दावा नहीं किया है। इसके बावजूद, प्राधिकारी ने ईरान के खिलाफ वर्तमान जाँच शुरू की है। ईरान से पाटन का प्रथम दृष्टया आकलन और जाँच की शुरुआत याचिका में दिए गए साक्ष्य पर आधारित नहीं है।
- vii) जाँच की शुरुआत एडीडी नियमों के नियम 5 का उल्लंघन है और कानूनन गलत है।

च.2 घरेलू उद्योग की टिप्पणियाँ

20. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित विविध टिप्पणियाँ की हैं:

- i) आवेदक ने दावा किया है कि ईरान से आने वाली संबद्ध वस्तुएँ संयुक्त अरब अमीरात से निर्यात की जा रही हैं। संयुक्त अरब अमीरात से निर्यात मूल्य ही ईरान के लिए निर्यात मूल्य है क्योंकि ईरानी मूल के सामान यूएई द्वारा निर्यात किए गए थे।
- ii) पाटन मार्जिन का कोई दावा नहीं करने के तर्क के बारे में आवेदक ने कहा कि, आवेदक ने 28 सितंबर 2022 के पत्र में स्पष्ट रूप से कहा था कि वह समझता है कि ईरान का उत्पादक भारत को उत्पाद निर्यात कर रहा है, लेकिन यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है कि वह निर्यात कर रहा है।
- iii) आवेदन में दी गई जानकारी की पर्याप्तता और सटीकता की जाँच करते हुए, प्राधिकारी ने संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया था और उसके बाद ईरान के खिलाफ जाँच शुरू करने का निर्णय किया था।
- iv) आवेदक द्वारा प्रदान की गई और जाँच शुरू करने के उद्देश्य से प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक समझी जाने वाली सभी जानकारी साझा किए गए आवेदन के अगोपनीय रूपांतरण में है।

- v) घरेलू उद्योग अपनी मौजूदा क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा, इससे संबंधित पक्ष उत्पादन क्षमता का भी विस्तार कर रहा है जो मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी।
- vi) मांग और आपूर्ति का अंतर पाटन के लिए लाइसेंस नहीं देता है। वास्तव में, मांग और आपूर्ति में अंतर से आम तौर पर कीमतें बेहतर होती हैं। हालांकि, पाटित आयात ने घरेलू उद्योग को उचित लाभ कमाने से भी रोक दिया है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

21. प्रासंगिक पाए गए सीमा तक हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई विविध अनुरोधों पर निम्नानुसार कार्रवाई की गई है:

- i) आवेदन के लिए वर्तमान जांच शुरू करने के औचित्य की कमी के संबंध में टिप्पणियों के संदर्भ में, ईरान की ओर से सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य पर कोई जानकारी नहीं थी, इस संबंध में यह नोट किया गया है कि आवेदक ने अपने आवेदन और बाद की टिप्पणियों में उल्लेख किया था कि संयुक्त अरब अमीरात में संबद्ध वस्तुओं के कोई उत्पादक नहीं हैं और वास्तव में वस्तुओं का उत्पादन ईरान में किया जाता है। उसने आवेदन में ईरान के निर्माता का नाम दिया था। जांच शुरू करने से पहले यूएई सरकार के साथ एक परामर्श किया गया था ताकि यूएई में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन का पता लगाया जा सके। यह सूचित किया गया था कि संयुक्त अरब अमीरात में संबद्ध वस्तुओं के लिए कोई उत्पादन सुविधा नहीं है। इस प्रकार, रिकॉर्ड पर जानकारी के आधार पर, जांच शुरू करने के चरण में, प्राधिकारी ने एक संबद्ध देश के रूप में ईरान के खिलाफ मामला शुरू किया। ईरान या संयुक्त अरब अमीरात में प्रचलित सामान्य मूल्य पर जांच शुरू करने के चरण में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी और इस प्रकार घरेलू उद्योग की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण किया गया था, और इसे सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी के रूप में समायोजित किया गया था। इसके अलावा, संयुक्त अरब अमीरात से निर्यात मूल्य को ईरान के लिए संबद्ध वस्तुओं के निर्यात मूल्य के रूप में माना गया था क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात से केवल माल स्थानांतरित किया गया था।
- ii) इस तर्क के संबंध में कि देश में मांग और आपूर्ति में अंतर है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वास्तव में मांग और आपूर्ति में अंतर है और इस प्रकार आयात बाजार में एक आवश्यकता थी। हालांकि, मांग आपूर्ति अंतर पाटन को सही नहीं ठहराता है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग क्षमता से अधिक मांग होने के बावजूद सर्वश्रेष्ठ स्तर पर उत्पादन और बिक्री करने में सक्षम नहीं है। मांग और आपूर्ति में अंतर की स्थिति से उद्योग को लाभ के सर्वश्रेष्ठ स्तर पर उत्पादन और बिक्री करने के लिए प्रोत्साहित होना चाहिए था। हालांकि, क्षति के विश्लेषण से पता चलता है कि उत्पादन में वृद्धि हुई है, हालांकि सर्वश्रेष्ठ स्तर पर नहीं है और बिक्री क्षति पर की जा रही है। इस तथ्य के बावजूद कि शुल्क लगाने से आयात प्रतिबंधित नहीं होता है, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग से संबंधित पक्ष (25,000 मीट्रिक टन) की सीमा तक उत्पादन क्षमता स्थापित कर रहा है जो वर्तमान और संभावित मांग का भी ध्यान रखेगा।

छ. पाटन की निरंतरता का आकलन और सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

छ.1 हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

22. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- i) घरेलू उद्योग की लागत के आधार पर निर्मित सामान्य मूल्य और थाईलैंड के लिए निर्धारित आयात की मात्रा और मूल्य के आधार पर निर्मित निर्यात कीमत उचित नहीं है और इस बात का कोई संकेत नहीं है कि यह लागत थाईलैंड में लागत को प्रतिबिंबित करती है। हितबद्ध पक्षकारों के सार्थक विश्लेषण को रोकने के लिए निवल निर्यात कीमत निर्धारित करने हेतु किए गए समायोजन के लिए कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है। ईरान के संबंध में सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का कोई दावा नहीं किया गया था।
 - ii) थाईलैंड के संबंध में, याचिकाकर्ता ने सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए संबद्ध वस्तुओं की घरेलू कीमतें और थाईलैंड से निर्यात की कीमतें प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयासों पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है।
 - iii) थाईलैंड में स्थिति को प्रतिबिंबित करने के लिए सामान्य मूल्य को उचित नहीं ठहराया गया है, यह घरेलू उद्योग की लागत पर आधारित है, रिकॉर्ड पर कोई संकेत नहीं है कि ये लागत थाईलैंड में लागतों को दर्शाती है।
 - iv) फैक्ट्री निर्यात कीमत के संबंध में समायोजन को प्रमाणित करने वाला कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है, जिसके कारण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किसी भी सार्थक विश्लेषण को रोका जा रहा है।
 - v) ईरान के संबंध में, याचिका में सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत से संबंधित कोई दावा नहीं किया गया है।

- vi) याचिकाकर्ता को जांच शुरू होने के बाद ईरान के लिए पाटन और क्षति के बारे में देर से दावा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
- vii) जांच की शुरुआत एक कमजोर याचिका पर आधारित है जहां ईरान पर कोई दावा मौजूद नहीं है, जिसके कारण वर्तमान जांच को समाप्त करने की आवश्यकता है।

छ.2 घरेलू उद्योग के विचार

23. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध निम्नानुसार हैं:
- i) आवेदक ने अपने घरेलू बाजारों से और प्रकाशित स्रोतों के माध्यम से कीमत की कोटेशन प्राप्त करने के लिए ग्राहकों के साथ जुड़कर संबद्ध देशों के घरेलू बाजार में संबंधित उत्पाद की कीमत के संबंध में साक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किए। हालाँकि, कोई प्रकाशन नहीं मिला।
 - ii) कीमतें उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच होती हैं और इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं होती हैं। इस प्रकार, संबंधित देशों के घरेलू बाजारों में पीयूसी की वास्तविक लेनदेन-बिक्री कीमत के बारे में प्रकाशित स्रोतों से कोई उचित, प्रामाणिक और सटीक जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकी।
 - iii) आवेदक संबद्ध देशों से उपयुक्त तीसरे देश में निर्यात किए जाने पर संबद्ध वस्तुओं के प्रतिनिधि कीमत के आँकड़े एकत्र करने में भी असमर्थ था।
 - iv) डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों की अनुपलब्धता को देखते हुए बाजार जानकारी से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जाँच की अवधि के लिए आयात की मात्रा और मूल्य को ध्यान में रखते हुए निर्यात कीमत निर्धारित की गई थी।
 - v) आवेदक द्वारा परिकलित सामान्य मूल्य को ध्यान में रखते हुए यह देखा गया है कि इस तरह से परिकलित पाटन मार्जिन सकारात्मक और उल्लेखनीय है।
 - vi) यह स्पष्ट है कि संबद्ध देशों के उत्पादक/निर्यातक भारत में संबद्ध वस्तुओं का पाटन कर रहे हैं और घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं।
 - vii) थाईलैंड में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन या कच्चे माल की कीमतों के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक या विनिर्माण प्रक्रिया में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है, इसलिए गणना उचित है।
 - viii) प्राधिकारी उत्तरदाता निर्यातक द्वारा प्रदान की गई जानकारी को सत्यापित कर सकते हैं और उचित सामान्य मूल्य निर्धारित कर सकते हैं।
 - ix) प्राधिकारी ने विगत में आयात आंकड़ों के अंतर्गत सूचित स्रोत देश को संबद्ध देश माना है और आवेदक ने प्राधिकारी की इस प्रथा को बताते हुए वर्तमान आवेदन में संयुक्त अरब अमीरात को संबद्ध देश माना है।
 - x) पाटन मार्जिन का कोई दावा नहीं करने के तर्क के बारे में आवेदक ने कहा कि, आवेदक ने 28 सितंबर 2022 के पत्र में स्पष्ट रूप से कहा था कि वह समझता है कि ईरान का उत्पादक भारत को उत्पाद निर्यात कर रहा है, लेकिन उसके पास यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है कि वह निर्यात कर रहा है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

24. अधिनियम की धारा 9ए(1)(सी) के तहत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है:
- i. व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
 - ii. जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:
 - (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो, अथवा
 - (ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री औष्र सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

25. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियाँ भेजी हैं जिनमें उन्हें प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र और पद्धति से सूचना उपलब्ध कराने की सलाह दी गई है।

26. पीक्यू केमिकल्स (थाईलैंड) लिमिटेड, मेसर्स यूनिलीवर एशिया प्राइवेट लिमिटेड ("यूएपीएल"), सिंगापुर और मैसर्स यूनाइटेड रॉ मटेरियल पीटीई लिमिटेड ("यूआरएमपीएल"), सिंगापुर ने प्रश्नावली का उत्तर दाखिल किया है। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियाँ नोट की हैं और उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत उत्तर के आधार पर पाटन मार्जिन और क्षति के मार्जिन का मूल्यांकन किया है।

छ.3.1 सामान्य मूल्य का निर्धारण

थाईलैंड के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

पीक्यू केमिकल्स (थाईलैंड) लिमिटेड

27. थाईलैंड से पीयूसी के उत्पादक मैसर्स पीक्यू केमिकल्स (थाईलैंड) लिमिटेड ("पीक्यू") द्वारा दायर आंकड़ों के आधार पर, यह नोट किया गया है कि जाँच की अवधि के दौरान, घरेलू बिक्री असंबद्ध ग्राहकों को की गई है। भारत को निर्यात की तुलना में घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में पाई गई।

28. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभकारी घरेलू बिक्री लेन-देन के निर्धारण के लिए सामान्य प्रक्रिया में व्यापार का परीक्षण किया। यदि लाभकारी लेन-देन ***% से अधिक हैं, तो सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बिक्री में सभी लेनदेन को शामिल किया जाना चाहिए, और ऐसे मामलों में जहां लाभकारी लेन-देन ***% से कम हैं, सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए केवल लाभकारी घरेलू बिक्री को शामिल किया जाना है। वर्तमान मामले में, चूंकि लाभकारी लेन-देन ***% से कम हैं, प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बाजार में लाभकारी लेन-देन पर विचार किया है।

29. नौपरिवहन लागत, हैंडलिंग शुल्क, अंतर्देशीय माल ढुलाई लागत, बैंक प्रभार और ऋण लागत के लिए दावा किए गए समायोजन को प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

ईरान के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

30. यह नोट किया गया है कि संबद्ध वस्तुएँ ईरान से आ रही हैं और संयुक्त अरब अमीरात से केवल स्थानांतरित की जा रही हैं। प्राधिकारी ने यूएई में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की पुष्टि करने के लिए यूएई सरकार के साथ परामर्श किया था। यह पुष्टि की गई कि संयुक्त अरब अमीरात में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए कोई उत्पादन सुविधा नहीं है। घरेलू उद्योग ने एक ईरानी उत्पादक, अर्थात् बेहदाश केमिकल कंपनी की ओर से एक ईमेल प्रस्तुत किया, जो दर्शाता है कि कंपनी ईरान से उत्पाद की पेशकश कर रही है और संयुक्त अरब अमीरात में अपने एजेंट के माध्यम से इसका निर्यात कर रही है। ईमेल से यह भी पता चलता है कि कंपनी नियमित रूप से भारत में निर्यात कर रही है। विशेष रूप से, ईमेल में उल्लेख किया गया है कि ["..... हम नियमित रूप से भारत को निर्यात कर रहे हैं। भुगतान: दुबई में हमारे एजेंट को अग्रिम में 100% नकद"]

31. ईरान या संयुक्त अरब अमीरात के किसी भी इच्छुक पक्ष ने उत्तर नहीं दिया है, न ही किसी इच्छुक पक्ष ने आपत्ति जताई है या रिकॉर्ड पर ऐसा कोई साक्ष्य रखा है जिससे यह स्थापित हो कि संबद्ध वस्तुएँ ईरान से नहीं आ रही हैं। इस प्रकार यह निष्कर्ष देने का प्रस्ताव है कि संयुक्त अरब अमीरात से निर्यात की जा रही वस्तुएँ ईरान से आ रही वस्तुएँ हैं।

32. वर्तमान मामले में, प्राधिकारी ने नोट किया है कि ईरान का कोई भी उत्पादक/निर्यातक वर्तमान जांच में शामिल नहीं हुआ है या प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। ईरान में पीयूसी के उत्पादकों/निर्यातकों के सहयोग के अभाव में प्राधिकारी ईरान के सभी गैर-सहकारी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में पाटनरोधी नियम, 1995 के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कार्यवाई करने के लिए बाध्य है। इसलिए, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर ईरान के सभी गैर-सहकारी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

किया है, जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों और उचित लाभ के साथ यथासमायोजित किया गया है। ईरान के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

छ.3.2. निर्यात कीमत

थाईलैंड के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए कारखाना द्वार निर्यात कीमत

पीक्यू केमिकल्स (थाईलैंड) लिमिटेड

33. प्राधिकारी ने नोट किया है कि पीक्यू ने निर्यातकों अर्थात् मैसर्स यूनिलीवर एशिया प्राइवेट लिमिटेड ("यूएपीएल") और मैसर्स यूनाइटेड रॉ मटेरियल प्राइवेट लिमिटेड ("यूआरएमपीएल") के माध्यम से भारतीय ग्राहकों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से *** मीट्रिक टन की कुल मात्रा में निर्यात किया है। निर्यात कीमत की गणना के लिए प्राधिकारी ने पीक्यू, यूएपीएल और यूआरएमपीएल द्वारा दायर आंकड़ों पर विचार किया है। नौपरिवहन लागत, समुद्री बीमा, हैंडलिंग शुल्क, बैंक शुल्क और अन्य खर्चों के लिए दावा किए गए समायोजनों को प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने उत्पादक के स्तर पर कारखाना द्वार निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए एसजीए खर्चों और पीयूसी की बिक्री पर हुए किसी भी क्षति को ध्यान में रखते हुए निर्यात कीमत में समायोजन किए।

34. तदनुसार, पीक्यू के लिए निर्यात कीमत भारत को भारित औसत निर्यात कीमत के आधार पर निर्धारित की गई है, और इसे पाटन मार्जिन तालिका में दिखाया गया है।

थाईलैंड से गैर-सहकारी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

35. थाईलैंड के अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों, जिन्हें असहयोगी माना जाता है, के संबंध में प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमों के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। थाई निर्माता द्वारा प्रभावली के संबंध में दायर उत्तर पर इस उद्देश्य से विचार किया गया है।

ईरान के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए कारखाना द्वार निर्यात कीमत

36. प्राधिकारी ने नोट किया है कि ईरान का कोई भी उत्पादक/निर्यातक वर्तमान जांच में शामिल नहीं हुआ है या प्रभावली का उत्तर नहीं दिया है। ईरान में पीयूसी के उत्पादकों/निर्यातकों के सहयोग के अभाव में प्राधिकारी ईरान से सभी गैर-सहकारी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत के निर्धारण के संबंध में पाटनरोधी नियम, 1995 के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कार्यवाई करने के लिए बाध्य है।

37. प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के अनुसार जांच की अवधि के लिए आयात की मात्रा और मूल्य पर विचार करने के बाद निर्यात कीमत निर्धारित की है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, संयुक्त अरब अमीरात से किए गए निर्यात वास्तव में ईरान से आ रही वस्तुएँ हैं, इस प्रकार, ईरान के लिए आयात की मात्रा और मूल्य को संयुक्त अरब अमीरात से रिपोर्ट किया गया माना गया है। समुद्री माल दुलाई, अंतर्देशीय माल दुलाई, बीमा, हैंडलिंग शुल्क, कमीशन और बैंक शुल्क के लिए समायोजन किए गए हैं। इस प्रकार निर्धारित निर्यात कीमत नीचे उल्लिखित पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

पाटन मार्जिन का निर्धारण

38. संबद्ध वस्तुओं के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

पाटन मार्जिन तालिका

क्र. सं.	उत्पादक	सामान्य मूल्य (डॉलर/एमटी)	निवल निर्यात कीमत (डॉलर/एमटी)	पाटन मार्जिन (डॉलर/एमटी)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन (रेंज %)
1	पीक्यू केमिकल्स (थाईलैंड) लिमिटेड	***	***	***	***	10-20
2	अन्य	***	***	***	***	20-30
3	ईरान	***	***	***	***	30-40

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

39. क्षति और क्षति की निरंतरता या पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नानुसार अनुरोध किये हैं:

- i) जाँच की अवधि में याचिकाकर्ता के आर्थिक मापदंडों में आधार वर्ष की तुलना में भारी वृद्धि हुई है।
- ii) याचिकाकर्ता ने कहा है कि क्षमता का उपयोग इष्टतम स्तर पर नहीं किया जा रहा है। इसके विपरीत, याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया है कि उसने जाँच की अवधि में उच्चतम क्षमता उपयोग हासिल किया है।
- iii) पीओआई में याचिकाकर्ता को हुई क्षति मूल जांच में हुए क्षति से अधिक हो सकता है, हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि थाईलैंड से आयात किया जाना इसके लिए किस प्रकार जिम्मेदार हैं।
- iv) थाईलैंड से होने वाले आयातों की कीमतें याचिकाकर्ता के लागत और कीमतों की तुलना में बहुत अधिक दर से बढ़ीं। याचिकाकर्ता को क्षति उसकी अपनी अक्षमताओं के कारण हुई है।
- v) बाजार हिस्से में वृद्धि का आकलन याचिकाकर्ता के संबद्ध वस्तुओं के निर्यात में हुई कई गुना वृद्धि के अनुरूप किया जाना चाहिए। यदि याचिकाकर्ता ने निर्यात बाजार पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं किया होता, तो उनके बाजार हिस्से में सुधार हुआ होता।
- vi) यद्यपि याचिकाकर्ता ने पीयूसी के लिए प्रपत्र IV ए और लिखित अनुरोध में क्षति का दावा किया है, याचिकाकर्ता ने वर्ष 2021-22 के वित्तीय विवरण में बताया है कि यह एक लाभप्रद वर्ष रहा।
- vii) संबद्ध देशों से आयात के कारण कोई कीमत हास या न्यूनीकरण मौजूद नहीं है। कथित क्षति सहित कथित क्षति संबद्ध आयातों से इतर अन्य कारकों के कारण है।
- viii) घरेलू उद्योग द्वारा किसी भी कीमत क्षति के दावे का संबद्ध देशों से आयात के साथ कोई संबंध नहीं है।
- ix) याचिकाकर्ता उत्पादन लागत में बदलाव के अनुरूप कीमतों में बदलाव करने में सक्षम रहा है।
- x) आधार वर्ष 2018-19 की तुलना में जाँच की अवधि में याचिकाकर्ता की बिक्री की लागत में 20 सूचीबद्ध अंकों की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान बिक्री कीमत में भी 19 सूचीबद्ध सूचीबद्ध अंकों की वृद्धि हुई। तथापि, इसी अवधि में थाईलैंड से पहुँच कीमत में 36 सूचीबद्ध अंकों की वृद्धि हुई।
- xi) याचिकाकर्ता की कीमत और लागत पूरी जाँच की अवधि के अनुसार रही, पूरी क्षति अवधि के दौरान लागत में बदलाव के साथ कीमत में बदलाव हुआ।
- xii) याचिकाकर्ता के लाभ में बिना किसी स्पष्ट कारणों से गिरावट आई है – यह स्पष्ट है कि थाईलैंड से संबद्ध आयातों के कारण ऐसा नहीं हुआ है।
- xiii) संबद्ध देशों से आयातों से याचिकाकर्ता को कोई मात्रात्मक क्षति नहीं हुई है।
- xiv) क्षति अवधि के दौरान याचिकाकर्ता की घरेलू बिक्री में लगातार वृद्धि हुई है।
- xv) क्षति अवधि के दौरान याचिकाकर्ता की घरेलू बिक्री विशेष रूप से दोगुनी से अधिक हो गई है।
- xvi) गैर-संबद्ध देशों (चीन जन.गण.) से आयातों में गिरावट आई, जिससे संबद्ध देशों से आयात में वृद्धि हुई, क्योंकि पीयूसी के प्रयोक्ताओं के पास अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई अन्य व्यवहार्य व्यावसायिक विकल्प नहीं था।
- xvii) याचिकाकर्ता और अन्य घरेलू उत्पादक की घरेलू बिक्री में भारी वृद्धि हुई, जो संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि से स्पष्ट तौर पर अधिक है।
- xviii) संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात में वृद्धि का कारण चीन जनवादी गणराज्य से आयात में गिरावट है।
- xix) थाईलैंड से आयात और याचिकाकर्ता के पीबीआईटी के बीच कोई सह-संबंध नहीं है। वर्ष 2019-20 में सबसे अधिक आयात याचिकाकर्ता के लिए उच्चतम पीबीआईटी के समय हुआ।
- xx) याचिकाकर्ता ने मूल जांच की जाँच की अवधि में बाजार हिस्से (जहां चीन संबद्ध देश था) और वर्तमान में धारित बाजार हिस्से की तुलना प्रदान की है। इस तरह के विश्लेषण का केवल वर्तमान जांच की क्षति अवधि के लिए मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
- xxi) एक भिन्न संबद्ध देश के लिए भिन्न जांच में बाजार हिस्से पर प्रभाव का वर्तमान जांच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
- xxii) क्षति अवधि में याचिकाकर्ता ने क्षमता में वृद्धि या बढ़ोत्तरी का कोई संकेत नहीं दर्शाया है, याचिकाकर्ता की सूचना के अनुसार उसी अवधि में बढ़ती मांग के बावजूद, क्षमता समान बनी रही है।

- xxiii) चूंकि याचिकाकर्ता भारत में पीयूसी की मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं था, इसलिए प्रयोक्ताओं को चीन जनवादी गणराज्य और थाईलैंड जैसे तीसरे देशों से पीयूसी मंगाना पड़ा।
- xxiv) क्षति अवधि में पीयूसी के उत्पादन और बिक्री में वृद्धि के दौरान रोजगार कम होने का कारण स्पष्ट किया जाना चाहिए।
- xxv) याचिकाकर्ता को कथित रूप से यदि कोई क्षति हुई है तो वह संबद्ध देशों से आयातों से इतर अन्य कारणों से हुई है।
- xxvi) याचिकाकर्ता को अगर कोई क्षति हुई है तो वह कोविड-19 महामारी, उच्चतर बदलाव लागत और उच्चतर कार्यशील पूंजी सहित अन्य कारणों से हुई है। इसके लिए संबद्ध देशों से आयात को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
- xxvii) याचिकाकर्ता ने घरेलू बाजार से ध्यान को हटाकर निर्यात बाजारों पर केंद्रित किया है। याचिकाकर्ता के निर्यात में आधार वर्ष की तुलना में जाँच की अवधि में कई गुना अर्थात् *** गुना वृद्धि हुई।
- xxviii) याचिकाकर्ता का ध्यान निर्यात बाजारों की ओर केंद्रित होने के परिणामस्वरूप प्रयोक्ता उद्योग के लिए एक ऐसी दुविधा उत्पन्न हो गई है जिसमें घरेलू उत्पादक देश की मांग को पूरा करने में असमर्थ हैं और निर्यात में वृद्धि हुई है, जिससे घरेलू बिक्री के लिए कम मात्रा शेष है।

ज.2 घरेलू उद्योग की टिप्पणियाँ

40. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- i) संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।
 - ii) अन्य देशों से आयात या तो बहुत कम हैं या असामान्य उच्चतर कीमतों पर हैं या इन पर पहले से ही पाटनरोधी शुल्क लगाया जा रहा है।
 - iii) सम्पूर्ण क्षति अवधि के दौरान मांग उल्लेखनीय बनी रही है। इसके अलावा, खपत की प्रवृत्ति, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं, प्रौद्योगिकी में विकास, निर्यात निष्पादन और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों के निष्पादन में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
 - iv) घरेलू उद्योग और विदेशी उत्पादकों द्वारा दी जा रही कीमतों के बीच काफी अंतर है, संबद्ध देशों से पाटित आयातों में काफी वृद्धि हुई है।
 - v) संबद्ध आयातों के कारण कीमतों में कटौती ने घरेलू उद्योग को अपनी बिक्री कीमत को बढ़ाने से रोक दिया है, जिसके कारण कीमत ह्रास और ऋणात्मक लाभ हुआ है।
 - vi) चीन पर शुल्क लागू होने से चीन से होने वाले आयातों में गिरावट आई है और घरेलू उद्योग ने अपनी बिक्री में वृद्धि की है। तथापि, थाईलैंड से पाटित आयातों की उपस्थिति ने घरेलू उद्योग को अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करने से रोक दिया है।
 - vii) संबद्ध देशों से काफी अधिक आयातों के कारण घरेलू उद्योग को गैर-लाभप्रद कीमतों पर बेचना पड़ा है जिससे क्षति हुई है।
 - viii) प्राधिकारी के पास रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना, जिसमें वास्तविक आंकड़े हैं, यह दर्शाती है कि आधार वर्ष में याचिकाकर्ता के निर्यात में वृद्धि नहीं के बराबर थी।
 - ix) गोपनीय अनुरोधों में प्रस्तुत किए गए अनुसार घरेलू बिक्री की तुलना में निर्यात बिक्री बहुत कम (पीओआई में ***) है।
 - x) तीसरे देशों में चीन द्वारा पाटन के कारण क्षति अवधि के पिछले 2 वर्षों के दौरान आवेदकों के निर्यातों में गिरावट आई।
 - xi) यद्यपि, बिक्री कीमत और लागत, दोनों में ऐसी स्थिति में वृद्धि हुई है, जब चीन से पाटन के कारण पूर्व में घरेलू कीमतें कम हो गई थीं, चीन से पाटन के दुष्प्रभावों से निकलने के लिए बिक्री की लागत में वृद्धि की तुलना में बिक्री कीमत में बहुत अधिक वृद्धि होनी चाहिए थी।
 - xii) यद्यपि उत्पादन, बिक्री में वृद्धि हुई है, पर घरेलू उद्योग का घाटे में रहना जारी है, जो क्षति अवधि में बढ़ गई है। चीनी पाटन पर अंकुश के बावजूद संबद्ध देशों से पाटित आयातों के होने के कारण घरेलू उद्योग लाभप्रद कीमतों पर बिक्री करने में सक्षम नहीं है।
 - xiii) संबद्ध आयात से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

- xiv) क्षति अवधि के दौरान मांग बहुत अधिक रही है। इसके अलावा, खपत की प्रवृत्ति, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं, प्रौद्योगिकी में विकास, निर्यात निष्पादन और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों के निष्पादन में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
- xv) घरेलू उद्योग और विदेशी उत्पादकों द्वारा दी जाने वाली कीमतों के बीच काफी अंतर है, संबद्ध देशों से पाटित आयातों में काफी वृद्धि हुई है।
- xvi) संबद्ध आयातों के कारण कीमतों में भारी कटौती ने घरेलू उद्योग को अपने बिक्री कीमत को बढ़ाने से रोक दिया है, जिसके कारण कीमत ह्रास और ऋणात्मक लाभ हुआ है।
- xvii) प्राधिकारी के पास रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना, जिसमें वास्तविक आंकड़े हैं, यह दर्शाती है कि आधार वर्ष में याचिकाकर्ता के निर्यात में वृद्धि नहीं के बराबर थी।

ज.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

41. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकार द्वारा किये गये अनुरोधों को नोट किया है और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों पर विधिवत रूप से विचार करने के बाद नियमावली के अनुसार विभिन्न मापदंडों की जांच की है। जहां प्राधिकारी द्वारा किये गये क्षति विश्लेषण से वास्तव में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये विभिन्न अनुरोधों का समाधान किया गया है।
42. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम-11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में किसी क्षति जांच में पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से की कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्रियों की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि जैसे सूचकों पर पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।
43. इस दावे के संबंध में कि मांग और आपूर्ति में अंतर और वर्षा, कोविड-19 जैसे अन्य अवरोधों ने आपूर्तिकर्ता की माल की आपूर्ति करने की क्षमता को प्रभावित किया है, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना से यह नोट किया गया है कि आवेदक ने सम्पूर्ण जाँच की अवधि के दौरान मालसूची को बनाए रखा। वार्षिक रिपोर्ट में कोविड-19 का प्रभाव बहुत कम बताया गया है। आगे यह भी नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग का इष्टतम उपयोग नहीं किया जाता है। किसी भी तरह, मांग और आपूर्ति में अंतर संबद्ध वस्तुओं के पाटन को उचित नहीं ठहराता है।
44. इस तर्क के संबंध में कि आवेदक के संयंत्र प्रचालन शिपिंग, लॉजिस्टिक्स और इनपुट की उच्चतर लागत, ऊर्जा और कोयले की उच्चतर कीमतों के कारण प्रभावित हुए हैं, रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना से यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत में वृद्धि हुई है। लागत में वृद्धि मुख्य रूप से कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के कारण हुई थी। तथापि, घरेलू उद्योग का बिक्री कीमत उस अनुपात में नहीं बढ़ सका।
45. इस तर्क के संबंध में कि आवेदक का फोकस निर्यात पर बढ़ गया है, यह नोट किया जाता है कि आवेदक द्वारा निर्यात बिक्री, क्षमता, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बहुत कम है।
46. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग जाँच की अवधि में क्षति का दावा करता है जबकि वित्तीय विवरण लाभप्रदता को दर्शाता है, इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि यह वित्तीय विवरण संबद्ध वस्तुओं के लिए विशिष्ट नहीं है, बल्कि समग्र रूप से कंपनी से संबंधित है। घरेलू उद्योग अन्य उत्पादों का भी उत्पादन करता है।

मांग/ स्पष्ट खपत का आकलन

47. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों के अनुसार भारत में उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को घरेलू उद्योग और अन्य सभी भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और संबद्ध देशों से आयातों तथा अन्य सभी स्रोतों

से आयातों के योग के रूप में विचार किया है। चीन से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर समानांतर निर्णायक समीक्षा जांच में प्राधिकारी द्वारा जारी अंतिम जांच परिणाम, जो निर्यातक द्वारा दिए गए उत्तर पर आधारित था, के आधार पर चीन से आयातों पर विचार किया गया है।

विवरण	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	133	134	187
अन्य उत्पादकों की बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	66	110	152
संबद्ध देशों से आयात	एमटी	4,495	15,808	13,523	16,203
	सूचीबद्ध	100	352	301	360
शुल्क लगने वाले देश से आयात – चीन जनवादी गणराज्य.	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	8	12	4
अन्य देशों से आयात	एमटी	104	277	338	1,370
	सूचीबद्ध	100	266	325	1,317
कुल मांग	एमटी	***	***	***	***
कुल मांग	सूचीबद्ध	100	99	97	121

48. यह देखा गया है कि मांग आधार वर्ष से 2020-21 तक घट गई और उसके बाद यह जाँच की अवधि में काफी बढ़ गया।

घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव

क. संबद्ध देशों की आयात मात्रा और उनका हिस्सा

49. संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा के साथ-साथ अन्य देशों से आयातों के प्रभावों की प्राधिकारी द्वारा निम्नानुसार जांच की गई है।

विवरण	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
आयात मात्रा	एमटी				
थाईलैंड से मात्रा	एमटी	4495	15808	12905	14864
यू.ई. के माध्यम से ईरान से मात्रा	एमटी	-	-	618	1339
संबद्ध देशों से आयात	एमटी	4,495	15,808	13,523	16,203
	सूचीबद्ध	100	352	301	360
शुल्क लगने वाले देश से आयात – चीन जनवादी गणराज्य.	एमटी	***	***	***	***

	सूचीबद्ध	100	8	12	4
अन्य देश	एमटी	104	277	338	1,370
	सूचीबद्ध	100	266	325	1,317
कुल आयात	एमटी	18,219	17,187	15,538	18,185
	सूचीबद्ध	100	94	85	100
निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध आयात					
कुल आयात	%	25%	92%	87%	89%
	सूचीबद्ध	100	368	348	356
भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	300	225	200
भारतीय खपत	%	18%	63%	55%	53%
	सूचीबद्ध	100	350	306	294

50. यह देखा गया है कि:

- क) संबद्ध देशों से आयातों आधार वर्ष से 2019-20 में बहुत अधिक बढ़ गया, उसके बाद 2020-21 में गिरावट आई और जाँच की अवधि में यह फिर से बढ़ गया। क्षति की अवधि में आयातों में 260% की वृद्धि हुई है।
- ख) क्षति की अवधि के पहले दो वर्षों के दौरान आयातों में ईरान का हिस्सा नहीं के बराबर था। तथापि, वर्ष 2020-21 से आगे आयात बढ़ने लगे।
- ग) चीन से शुल्क लगने वाले आयातों में काफी गिरावट आई है।
- घ) क्षति की अवधि के दौरान भारतीय उत्पादन और खपत के संबंध में संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि हुई है और यह बहुत ऊँचे स्तर पर है।

पाटित आयातों के कीमत प्रभाव

51. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, इसका विश्लेषण करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में कथित पाटित आयातों द्वारा कीमतों में भारी कीमत कटौती की गई है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा में अत्यधिक कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी अधिक बढ़ गई होती।

52. तदनुसार, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच कीमत में कटौती और कीमत ह्रास / न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के उद्देश्य से घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और निवल बिक्री वसूली (एनएसआर) की तुलना संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की पहुँच कीमत के साथ की गई है।

क) कीमत कटौती

53. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में आयातों के कारण कटौती हो रही है, क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के साथ संबद्ध आयातों की पहुँच कीमत की तुलना करके कीमत में कटौती का आकलन किया गया है। कीमत कटौती का विश्लेषण नीचे दिया गया है:

विवरण	इकाई	थाईलैंड	ईरान	समग्र रूप से संबद्ध देश
आयातों की पहुँच कीमत	रु./किग्रा	44	35	44
निवल बिक्री कीमत	रु./किग्रा	***	***	***

कीमत कटौती	रु./किग्रा	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***
	रेंज	0-10	10-20	0-10

54. यह देखा गया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के स्तर से नीचे है।

ख) कीमत ह्रास या न्यूनीकरण

55. घरेलू बाजार में कीमत ह्रास और न्यूनीकरण का विश्लेषण करने के उद्देश्य से, आवेदक ने (क) बिक्री की इकाई लागत, (ख) घरेलू बिक्री कीमत के संबंध में सूचना दी की है जिसे निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

विवरण	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
बिक्री की लागत	रु./किग्रा	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	106	114	133
बिक्री कीमत	रु./किग्रा	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	102	103	118
संबद्ध देश से पहुँच कीमत	रु./किग्रा	33	34	35	44
	सूचीबद्ध	100	103	106	133

56. यह देखा गया है कि पूरी क्षति अवधि के दौरान बिक्रियों की लागत बढ़ी है। तथापि, घरेलू उद्योग बिक्री लागत में वृद्धि के अनुरूप अपने बिक्री कीमत को बढ़ा नहीं पाया है। इसके अलावा, संबद्ध आयातों की पहुँच कीमत पूरी क्षति की अवधि के दौरान बिक्री की लागत के स्तर से काफी कम है।

घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

57. नियमावली के अनुबंध-II में यह व्यवस्था है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकों का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; वे कारक जो घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा पर प्रभाव डालते हों; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। तदनुसार, घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर नीचे चर्चा की गई है।

क) क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री

58. प्राधिकारी के द्वारा क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियों की मात्रा पर निम्नानुसार विचार किया है:

विवरण	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
स्थापित क्षमता	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	100	100	100
उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	144	151	204
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***

	सूचीबद्ध	100	144	151	204
घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	133	134	187

59. यह देखा गया है कि:

- क्षति अवधि और जाँच की अवधि के साथ-साथ मूल जाँच के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता स्थिर रही है।
- क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है।
- क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री भी बढ़ी है।

60. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उत्पादन और बिक्री को बढ़ाने पर क्षति झेलनी पड़ती है।

ख) मांग में बाजार हिस्सेदारी

61. पूरी क्षति अवधि में संबद्ध आयात और घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा निम्नानुसार है:

मांग में बाजार हिस्सेदारी	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
घरेलू उद्योग की बिक्री	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध %	100	139	139	161
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध %	100	67	111	122
संबद्ध देशों से आयात	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध %	100	356	311	300
शुल्क लगने वाले देश से आयात – चीन जनवादी गणराज्य.	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध %	100	9	13	4
अन्य देशों से आयात	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध %	0	100	200	500
कुल मांग/खपत	%	100%	100%	100%	100%

62. क्षति की अवधि में संबद्ध देशों के बाजार हिस्से में काफी वृद्धि हुई है और चीन के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग आधार वर्ष से जाँच की अवधि तक अपने उत्पादन को बढ़ाकर अपने बाजार हिस्से को ***% से **% तक बढ़ाने में सक्षम हुआ था। घरेलू उद्योग द्वारा यह दावा किया गया है कि चीन पर मौजूदा शुल्कों के बावजूद, अन्य देशों से लगातार पाटन के कारण, घरेलू उद्योग ने बाजार हिस्से के केवल ***% के लिए संघर्ष किया है।

ग) लाभप्रदता, नकद लाभ, और नियोजित पूंजी पर आय

63. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभ, लाभप्रदता, नकद लाभ, ब्याज पूर्व लाभ (PBIT) और निवेश पर आय निम्नानुसार हैं:

विवरण	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
-------	------	---------	---------	---------	-------

विक्रियों की लागत	रुएमटी/.	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	106	114	133
विक्री कीमत	रुएमटी/.	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	102	103	118
लाभ	रुएमटी/.	***	(***)	(***)	(***)
	सूचीबद्ध	100	(84)	(347)	(495)
लाभ	रु. लाख	(***)	(***)	(***)	(***)
	सूचीबद्ध	100	(112)	(370)	(927)
नकद लाभ	रु. लाख	***	***	***	(***)
	सूचीबद्ध	100	84	49	(64)
ब्याज और कर से पूर्व लाभ	रु. लाख	***	***	(***)	(***)
	सूचीबद्ध	100	26	(68)	(216)
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	(***)	(***)
सूचीबद्ध	सूचीबद्ध	100	19	(57)	(205)

64. यह देखा गया है कि

- घरेलू उद्योग आधार वर्ष में लाभ अर्जित कर रहा था, तथापि वर्ष 2019-20 से उसे फिर से घाटा होने लगा।
- घरेलू उद्योग के नकद लाभ में वर्ष 2020-21 तक गिरावट आई और जाँच की अवधि में यह ऋणात्मक हो गया।
- घरेलू उद्योग का आरओआई, आधार वर्ष में सकारात्मक था, तथापि वर्ष 2020-21 के बाद से यह ऋणात्मक हो गया।

घ) मालसूची

65. क्षति अवधि और जाँच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:

विवरण	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
आरंभिक स्टॉक	एमटी	***	***	***	***
समापन स्टॉक	एमटी	***	***	***	***
औसत सूची	एमटी	***	***	***	***
	सूचकांक	100	50	15	7

66. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास मालसूची के स्तर में 2020-21 तक गिरावट आई और उसके बाद जाँच की अवधि में इसमें मामूली वृद्धि हुई।

ङ) रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

67. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में घरेलू उद्योग की स्थिति निम्नानुसार है:

विवरण	इकाइयाँ	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***

	सूचीबद्ध	100	97	90	85
वेतन और मजदूरी	₹ लाख	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	100	90	119
प्रति दिवस उत्पादकता	एमटी/दिवस	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	144	151	204

68. नोट करते हैं कि क्षति अवधि में कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है और भुगतान की गई मजदूरी में वृद्धि हुई है। पूरी क्षति अवधि के दौरान उत्पादन में वृद्धि के साथ प्रति दिवस उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

च) पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता

69. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग घाटे में चल रहा है जो दर्शाता है कि घरेलू उद्योग की निवेश जुटाने की क्षमता सीमित है।

छ) पाटन की मात्रा और पाटन मार्जिन

70. यह देखा गया है कि संबद्ध देशों से पाटन मार्जिन न केवल नगण्य से ज्यादा है, बल्कि बहुत अधिक है।

ज) वृद्धि

71. घरेलू उद्योग के विकास के संबंध में सूचना निम्नानुसार है:

विवरण	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
उत्पादन	वाई/ वाई		0.44	0.05	0.35
बिक्री	वाई/ वाई		0.33	0.01	0.40
लाभ/हानि	वाई/ वाई		(2.12)	(2.30)	(1.51)
नकद लाभ	वाई/ वाई		(0.16)	(0.41)	(2.30)

झ. कारणात्मक संबंध और अन्य करक (गैरआरोपण विश्लेषण-)

72. प्राधिकारी ने इसकी जांच की कि क्या पाटन रोधी नियमावली के तहत सूचीबद्ध अन्य कारक घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकते हैं।

73. प्राधिकारी ने पाटित आयातों से इतर ऐसे ज्ञात कारकों की जांच की है यह पता लगाया है कि ये उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाते रहे हैं, ताकि इन अन्य कारकों, यदि कोई हों, से हुई क्षति के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार न ठहराया जाये। इस संबंध में संगत कारकों में अन्य बातों के साथसाथ पाटित कीमतों पर नहीं बेचे गये आयातों की मात्रा - और कीमत, मांग में संकुचन या खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन और उत्पादकता शामिल हैं।

क) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमतें

74. यह देखा गया है कि चीन से आयात पर शुल्क लग रहा है और अन्य देशों से आयात बहुत कम है।

ख) मांग में संकुचन

75. यह देखा गया है कि क्षति की अवधि में विचाराधीन उत्पाद की मांग बढ़ी है।

ग) खपत की प्रवृत्ति में बदलाव

76. यह देखा गया है कि क्षति की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की खपत की प्रवृत्ति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

घ) प्रतिस्पर्धा और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं की स्थिति

77. प्राधिकारी ने नोट किया कि जांच में प्रतिस्पर्धा या किसी भी व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं की शर्तों में कोई बदलाव नहीं दर्शाया गया है।

ङ) प्रौद्योगिकी में विकास

78. यह देखा गया है कि प्रौद्योगिकी में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है।

च) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

79. प्राधिकारी ने केवल क्षति विश्लेषण के लिए घरेलू प्रचालन के आंकड़ों पर विचार किया है। पूरी क्षति अवधि के दौरान निर्यात का हिस्सा क्षमता, उत्पादन में बहुत कम है।

छ) अन्य उत्पादों का निष्पादन

80. घरेलू उद्योग ने पीयूसी के लिए क्षति संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराए हैं और इसे प्राधिकारी द्वारा क्षति विश्लेषण के लिए अपनाया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे जाने वाले अन्य उत्पादों के निष्पादन पर विचार नहीं किया गया है।

ज. क्षति मार्जिन की मात्रा

81. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी का निर्धारण अनुबंध-III के साथ पठित यथा संशोधित नियमावली में निर्दिष्ट सिद्धांतों के आधार पर किया है। विचाराधीन उत्पाद की एनआईपी का निर्धारण, उत्पादन लागत के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई और पीओआई के लिए कार्यरत लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित सूचना/ आंकड़ों को अपनाकर किया गया है। क्षति मार्जिन के परिकलन के लिए संबद्ध देशों से पहुँच कीमत की तुलना करने के लिए एनआईपी पर विचार किया गया है। एनआईपी का निर्धारण करने के लिए, क्षति अवधि के दौरान कच्चे माल और उपयोगिताओं के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। क्षति अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। असाधारण या गैर-आवर्ती व्ययों को उत्पादन लागत से बाहर रखा गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी (अर्थात् औसत निवल अचल संपत्ति और औसत कार्यशील पूंजी) पर समुचित आय (कर-पूर्व @ 22%) को नियमावली के अनुबंध III में निर्धारित एनआईपी ज्ञात करने के लिए कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी।

82. पहुँच कीमत और यथोक्त निर्धारित एनआईपी के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई क्षति मार्जिन निम्नलिखित तालिका में दी है।

क्र. सं.	उत्पादक	क्षतिरहित कीमत (यूएस डॉलरएमटी/)	पहुँच कीमत (यूएस डॉलरएमटी/)	क्षति मार्जिन (यूएस डॉलरएमटी/)	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन (रेंज %)
1	पीक्यू केमिकल्स (थाईलैंड) लिमिटेड	***	***	***	***	20-30
2	अन्य	***	***	***	***	30-40
3	ईरान	***	***	***	***	40-50

ट. जनहित

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

83. सार्वजनिक हित के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

- शुल्क लगाना जनहित में नहीं होगा क्योंकि यह पीयूसी के डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ता उद्योग के हितों के लिए हानिकारक है।
- यदि शुल्क को जारी रखा जाता है तो प्रयोक्ताओं को अभाव और उच्चतर कीमतों का सामना करना पड़ेगा।
- पीयूसी डिटर्जेंट के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला एक प्रमुख कच्चा माल है, जो भारत में समाज के हर तबकों में उपभोक्ताओं की दैनिक जरूरतों के लिए अपरिहार्य उत्पाद है।
- कोविड-19 महामारी की शुरुआत के समय से व्यक्तिगत स्वच्छता संबंधी उत्पादों का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है।
- अक्षम घरेलू उद्योग को बचाने के लिए पीयूसी पर शुल्क लगाना जनहित में नहीं है।
- घरेलू उद्योग की क्षमता देश की समग्र मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण पीयूसी का आयात आवश्यक है।
- याचिकाकर्ता संबद्ध वस्तुओं की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद क्षमता बढ़ाने में विफल रहा। (पीओआई से ***%)
- मांग को पूरा करने में घरेलू उद्योग की अक्षमता के साथ एडीडी लागू करने से पीयूसी की आपूर्ति में कमी होने की संभावना है।

- ix) कई बार (पीओआई के दौरान भी), याचिकाकर्ता अपेक्षित मात्रा में सामग्री की आपूर्ति करने में विफल रहा है।
- x) पीयूसी कम घनत्व वाला उत्पाद है और बहुत भारी-भरकम है। समुद्री माल ढुलाई की भूमिका उस स्रोत के निर्धारण में महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से पीयूसी का आयात किया जाना चाहिए।
- xi) एचयूएल निकटतम स्थान अर्थात् चीन जनवादी गणराज्य और थाईलैंड से खरीदना चाहता है।
- xii) चीन जनवादी गणराज्य से आयातित पीयूसी एडीडी के अध्यक्षीन है, यदि इसे बढ़ाया जाता है और थाईलैंड पर एडीडी लगाया जाता है, तो प्रयोक्ता आपूर्ति के अन्य स्रोतों की तलाश करने के लिए मजबूर होंगे।
- xiii) भारत के आस-पास पीयूसी की आपूर्ति का कोई अन्य स्रोत आसानी से उपलब्ध नहीं है।
- xiv) ग्रामीण क्षेत्रों में एफएमसीजी उत्पादों की बिक्री में गिरावट का मुख्य कारण बढ़ी हुई कीमत है।
- xv) एचयूएल के परिकलन से पता चलता है कि पीयूसी पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने से आम उपभोक्ता पर मौजूदा मुद्रास्फीति का प्रभाव और अधिक बढ़ेगा।
- xvi) डिटर्जेंट एसएलईएस / पीएस (संतृप्त फैटी अल्कोहल का डाउनस्ट्रीम उत्पाद) की भी खपत करते हैं जिस पर वर्तमान में एडीडी शुल्क लगते हैं। यदि पीयूसी पर शुल्क लगाया जाता है, तो उपभोक्ताओं को दोनों शुल्कों की कीमत वृद्धि को अतिरिक्त रूप से वहन करना होगा।

ट.2 घरेलू उद्योग के विचार

84. घरेलू उद्योग ने जनहित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किया है:
- i) अंतिम प्रयोक्ता पर एडीडी का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, डाउनस्ट्रीम उत्पाद के निर्माण में पीयूसी की औसत खपत अन्य प्रमुख इनपुट्स की तुलना में लगभग ***% से ***% है।
 - ii) बिक्री कीमत के प्रतिशत के रूप में अंतिम-उत्पाद पर मौजूदा शुल्कों का प्रभाव लगभग ***% है
 - iii) घरेलू उद्योग ने एडीडी की मात्रा के अनुसार अपनी कीमतों में वृद्धि नहीं की है।
 - iv) घरेलू उद्योग ने एडीडी की मांग की है ताकि संबद्ध देशों से अनुचित कीमत पर आयात बंद हो जाए।
 - v) दिसंबर 2018 से चीन के विरुद्ध लागू पाटन-रोधी शुल्क का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि शुल्कों का अंतिम प्रयोक्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
 - vi) जिओलाइट (Zeolite) के प्रमुख प्रयोक्ता एचयूएल के डिटर्जेंट पोर्टफोलियो की वृद्धि, इस बात का द्योतक है कि मौजूदा शुल्कों का अंतिम ग्राहक पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा।
 - vii) शुल्क का प्रभाव, यदि कोई हो, पूरे डिटर्जेंट बाजार को प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि पीयूसी का उपयोग शीर्ष डिटर्जेंट ब्रांडों में बिल्डर के रूप में किया जाता है, जबकि सस्ते ब्रांड कच्चे माल के रूप में पीयूसी का उपयोग करने से बचते हैं।
 - viii) पाटनरोधी शुल्क लगाना भारतीय बाजार में समान अवसर, समान वस्तुओं के घरेलू उत्पादन की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने और भारत को बड़े पैमाने पर इस उत्पाद के आयात पर निर्भर होने से रोकने के लिए आवश्यक है।
 - ix) घरेलू उद्योग अभी भी अपनी उत्पादन क्षमता का इष्टतम स्तर तक उपयोग नहीं कर रहा है। संबद्ध देशों पर शुल्क लगाए जाने से घरेलू उद्योग अपनी इष्टतम क्षमता के स्तर को प्राप्त करने और भारतीय बाजार की जरूरत को बेहतर ढंग से पूरा करने में सक्षम होगा।
 - x) एक मजबूत घरेलू उद्योग होना भारतीय बाजार को निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी बनाना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, जिसकी अनुपस्थिति में पाटित आयात इस पर पूरी तरह से हावी होगा।
 - xi) शुल्क नहीं लगाए जाने से एमएसएमई उत्पादन की दीर्घकालिक व्यवहार्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उन्हें पाटित कीमतों पर आयात के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
 - xii) जैसा कि आवेदक की आर्थिक हित प्रश्नावली में उल्लिखित है, प्रयोक्ता की वार्षिक रिपोर्ट इस बारे में विस्तार से बताती है कि पिछले पांच वर्षों में इसके डिटर्जेंट ब्रांड कैसे बढ़े हैं और नई विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं;
 - xiii) हितवद्ध पक्षकार द्वारा उल्लेख की गई एफएमसीजी उत्पादों की मात्रा में कमी की प्रवृत्ति पूरी एफएमसीजी श्रेणी के लिए है और डिटर्जेंट क्षेत्र के लिए यह प्रवृत्ति किस हद तक ऐसी ही रहेगी, यह नहीं दिया गया है।
 - xiv) एफएमसीजी उत्पादों की कम मांग के सामान्य दृष्टिकोण का इस जांच से कोई सह-संबंध नहीं है और इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।
 - xv) कोविड-19 एक वैश्विक घटना थी, आवेदक के प्रचालन पर कोविड का प्रभाव बहुत कम था।

- xvi) तकनीकी अपग्रेडेशन एक योजनाबद्ध कार्यकलाप है जो प्रत्येक विनिर्माण इकाई के लिए अपनी उत्पादन इकाई को बदलती तकनीक के अनुसार अद्यतन बनाए रखने और कुशल तरीके से अपनी क्षमता को अधिकतम करने के लिए जरूरी है।
- xvii) आवेदक की संबद्ध कंपनी *** मीट्रिक टन की स्थापित क्षमता वाला एक नया संयंत्र स्थापित कर रही है जो आने वाले महीनों में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करेगा। यह क्षमता भारतीय उद्योग की वर्तमान और भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त से भी अधिक होगी।
- xviii) जीसीएमआईएल (GCMIL) क्षति अवधि के दौरान भारत में पीयूसी की मांग और आपूर्ति के अंतर को काफी हद तक कम करने में सफल रहा है और आने वाले महीनों में यह अंतर समाप्त हो जाएगा।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

85. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का प्रयोजन सामान्य रूप से पाटन की अनुचित परिपाटियों से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित की जा सके जो कि देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपाय लगाने का उद्देश्य किसी भी तरह संबद्ध देश से आयात प्रतिबंधित करना नहीं है।

86. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए जांच की शुरुआत की अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने उपभोक्ताओं/प्रयोक्ताओं के लिए उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के किसी संभावित प्रभाव सहित वर्तमान जांच के संबंध में संगत सूचना प्रदान करने के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की। प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने उपभोक्ताओं के लिए उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव सहित वर्तमान जांच के संबंध में संगत सूचना प्रदान करने के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न देशों से विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की परस्पर परिवर्तनीयता, स्रोत बदलने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव, उन कारकों जिनसे पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण नई स्थिति में समायोजन में वृद्धि होने अथवा विलंब होने की संभावना है, के संबंध में सूचना मांगी।

87. शुल्क के प्रभाव के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार किया गया है।

88. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक के भारतीय बाजार में आने से पूर्व भारत में भारी मांग-आपूर्ति अंतराल मौजूद था। यह देखा जाता है कि आवेदक ने इस अंतराल को काफी हद तक पूरा करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ गुजरात सरकार के साथ इस संयंत्र की स्थापना की है। चीन पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भारतीय उद्योग अपना उत्पादन और क्षमता उपयोग बढ़ाने में समर्थ था। शुल्कों से घरेलू उत्पादक को बाजार में 28 प्रतिशत हिस्सा बनाए रखने में सहायता मिली जो चीन के विरुद्ध मूल जांच की जांचावधि में केवल 7 प्रतिशत था। शुल्क लगाए जाने से उद्योग ने को मांग मांग आपूर्ति अंतराल पूरा करने के लिए नए निवेश किए हैं। आवेदक घरेलू उद्योग की संबद्ध कंपनी ने क्षमता स्थापित की है और इस वित्तीय वर्ष अर्थात् 2023-24 में उत्पादन पहले ही शुरू कर दिया है। भारतीय उद्योग में क्षमताएं देश में मौजूदा और भावी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होंगी। इसके अतिरिक्त, देश में मांग आपूर्ति अंतराल पाटन का औचित्य नहीं बनाता। इसके अतिरिक्त पाटनरोधी शुल्क आयातों को प्रतिबंधित नहीं करते, यह सभी पक्षकारों के लिए उचित व्यापारिक क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सीमा तक भी लगाया जाता है।

89. यह नोट किया जाता है कि जियोलाइट के भारतीय उत्पादक एमएसएमई श्रेणी में आते हैं। चूंकि प्राधिकारी ने एमएसएमई कंपनियों में शामिल अन्य जांचों में नोट कि है कि इस श्रेणी में उत्पादक बाजार स्थितियों में परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक ग्रहणीय हैं जो सिद्धांत बड़े पैमाने की कंपनियों को स्थापित करते हैं वे एमएसएमई कंपनियों के मामले में लागू नहीं हैं। ये कंपनियां मितव्ययिता, अथवा व्यापक उत्पाद स्वरूप, व्यापक बाजार आधार, घरेलू और निर्यात दोनों, और अच्छे व्यावसायिक/प्रबंधन कौशलों जो प्रायः अन्यथा बड़े पैमाने की कंपनियों में पाए जाते हैं, जो बाजार में जोखिमों को कम करने में उनकी मदद करते हैं, से लाभान्वित नहीं होती। संबद्ध सामान उपभोक्ता उत्पाद हैं जिनमें उपभोक्ताओं के लिए कीमत एक निर्णायक कारक है। किसी एमएसएमई उत्पादक के लिए अपनी कीमतें आयात कीमतों के अनुरूप करना संभव नहीं हो सकता है। अतः कच्ची सामग्री की कीमतों में दर्ज प्रवृत्तियों के बावजूद यदि आयात पाटित कीमतों पर भारतीय बाजार में आ रहे हैं तो एमएसएमई उत्पादक बने रहने के लिए अपनी कीमतें आयात कीमतों के अनुरूप करने का प्रयास करेगा। इसके अतिरिक्त, किसी अन्य एमएसएमई उद्योग के समान यह उद्योग बिखरा हुआ है और इसके संबद्ध

सामानों के केवल दो उत्पादक हैं। यदि शुल्क बंद होते हैं तो यह संभावना है कि ये उत्पादक बने नहीं रहेंगे और भारतीय उद्योग पूरी तरह समाप्त हो सकता है।

90. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान स्रोतों से आयात चीन से आयातों के विरुद्ध की गई मूल जांच में काफी कम थे। तथापि, वर्तमान शुल्क लगाए जाने के बाद संबद्ध देशों में पाटन का सहारा लिया और घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाते हुए अपने निर्यात बढ़ाए।

91. यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि शुल्क लगाने जाने से प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। संबद्ध सामानों से आयातों संबंधी हाल ही में की गई निर्णायक समीक्षा जांच में भी यह नोट किया गया था कि चीन पर शुल्क लगाए जाने से उपभोक्ताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। घरेलू उद्योग ने चीन पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की राशि तक अपनी कीमतें नहीं बढ़ाई। वर्तमान जांच में प्रयोक्ता उद्योग ने फिर भी 1-2 प्रतिशत की रेंज में पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव दर्शाया है।

92. यह भी नोट किया जाता है कि जियोलाइट 4-ए का प्रयोग प्राथमिक रूप डिटरजेंट में किया जाता है जो प्रीमियम ब्रांडों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार, कुल मिलाकर जनता इस उत्पाद का प्रयोग नहीं करती और इस प्रकार केवल प्रीमियम ब्रांड के प्रयोक्ता डिटरजेंट का प्रयोग करते हैं जिसका उपयोग जियोलाइट 4ए करता है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि लगभग 70 प्रतिशत डिटरजेंट विनिर्माता जियोलाइट 4ए का प्रयोग नहीं करते।

93. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि जियोलाइट और सेचुरेटेड फैटी एल्कोहल पर शुल्क लगाए जाने से प्रयोक्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने सेचुरेटेड फैटी एल्कोहल के संबंध में अपने जांच परिणाम में एक विश्लेषण किया था कि सेचुरेटेड फैटी एल्कोहल पर पाटनरोधी शुल्क का प्रयोक्ता उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। जियोलाइट पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से प्रयोक्ता उद्योग पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं दर्शाया है। इस प्रकार, यह दावा करने का कोई आधार नहीं है कि संचयी रूप से प्रयोक्ता उद्योग पर शुल्कों का कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रयोक्ता ने इसकी मात्रा भी निर्धारित नहीं की है अथवा इस तर्क के लिए आधार भी नहीं दिया है।

94. प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं के हितों पर शुल्क लगाए जाने के प्रभाव की भी जांच की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि शुल्क लगाए जाने से आयात प्रतिबंधित नहीं होते बल्कि यह सुनिश्चित करते हैं कि सामान उचित कीमतों पर उपलब्ध हों। भारतीय उद्योग ने अपनी क्षमताएं बढ़ाई हैं और लगभग पूरी मांग ही सिद्ध करता है।

ठ. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

ठ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

95. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात दी गई टिप्पणियां निम्नलिखित हैं :-

- i. निर्यातक यह अनुरोध करता है कि प्रकटन विवरण में रिकॉर्ड किए गए आंकड़ों और घरेलू उद्योग द्वारा पूर्व में रिकॉर्ड में रखे गए आंकड़ों में काफी अंतर हैं। इससे जांच की शुरुआत के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी के समक्ष रिकॉर्ड में रखी गई सूचना की सत्यता पर संदेह बनता है।
- ii. प्राधिकारी को माननीय सेस्टेट की टिप्पणियों और व्यापार सूचना सं. 01/2022 का अनुपालन करना चाहिए और घरेलू उद्योग को निर्देश देना चाहिए कि वे एक्सल फार्म में अर्थात उक्त स्वरूप और तरीके में जिसे रिकॉर्ड में रखा गया था, छांटे गए और छांटे न गए लेन देनवार आयात आंकड़े उपलब्ध कराएं। ये कार्यवाहियां तब तक जारी नहीं रह सकती जब तक अपेक्षित रूप में आयात आंकड़े निर्यातक को उपलब्ध न कराए जाएं।
- iii. हितबद्ध पक्षकारों को सार्थक टिप्पणियां प्रदान करने के लिए कोई भी उपयुक्त समय सीमा तथा अवसर प्रदान नहीं किए गए थे और अनुरोध किए जाने के बावजूद कोई समय विस्तार भी नहीं दिया गया था।
- iv. अपेक्षित आंकड़ों (अन्य बातों के साथ-साथ अन्य घरेलू उत्पादकों की मात्रा और मूल्य तथा निर्यात बिक्री के लिए बिक्री लागत/ बिक्री वसूली), अपेक्षित आंकड़ों को उपयुक्त व्यापार सूचना के अनुसार प्रकटन किया जाना हितबद्ध पक्षकारों के पूर्वाग्रह के प्रति जारी है जिससे वे अपेक्षित आंकड़ों का विश्लेषण करने और कई सार्थक टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
- v. यहां तक कि यदि घरेलू उद्योग ने भारतीय उत्पादकों के नाम दिए हों अथवा यह उल्लेख किया हो कि याचिका में यूआई विचाराधीन उत्पाद का उत्पादक नहीं है तो इससे वह दोष ठीक नहीं हो जाता कि याचिका में ईरान के विरुद्ध पाटन का कोई दावा नहीं है। उपर्युक्त कमी के बावजूद प्राधिकारी ने ईरान

- के विरुद्ध वर्तमान जांच शुरू की है। अतः ईरान से पाटन का प्रथमदृष्टया मूल्यांकन और जांच की शुरूआत याचिका में साक्ष्य पर आधारित नहीं है। अतः जांच की शुरूआत पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के उल्लंघन में है और कानून में खराब है।
- vi. याचिकाकर्ता ने यूएई से आयातों पर पाटनरोधी शुल्कों के लिए वर्तमान आवेदन पत्र की मांग की है न कि ईरान से। तथापि, विगत परिपाटी के विपरीत प्राधिकारी ने जांच की शुरूआत की अधिसूचना में संबद्ध देश के रूप में ईरान की पहचान की है न कि यूएई की।
 - vii. क्षमता उपयोग याचिका के पैरा 74 में स्वीकार किए गए अनुसार आधार वर्ष में 50 प्रतिशत से कम के जांच की अवधि में 100 प्रतिशत के निकट तक गया है। क्षमता उपयोग लगभग 100 प्रतिशत अर्थात् जांच की अवधि में 99.6 प्रतिशत होने पर प्राधिकारी ने स्वैच्छिक रूप से यह पाया कि उत्पादन ईष्टतम स्तरों पर नहीं है और यह कि बिक्रियां हानियों पर की जा रही हैं।
 - viii. यद्यपि, घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद (अर्थात् सोडियम सिलिकेट और एल्युमिनियम ट्रीहाइड्रोक्साइड) के उत्पादन के लिए अपनी प्रमुख कच्ची सामग्री या तो उत्पादित करता है/ घरेलू तौर पर खरीदता है, थाइलैंड के उत्पादक इनमें से कुछ सामग्री का आयात करते हैं क्योंकि इनके पास थाइलैंड इन सामग्रियों के लिए विनिर्माण युनिटें नहीं हैं। इसका अर्थ यह होगा कि थाइलैंड से उत्पादकों की खरीद लागतें घरेलू उद्योग की तुलना में अधिक होंगी। इसके बावजूद थाइलैंड के उत्पादक भारत में लाभ पर बिक्री करने में समर्थ हैं।
 - ix. एक गौण स्रोत के अनुसार घरेलू उद्योग कोविड-19 महामारी के कारण क्षति की अवधि में बंद भी हो गया था।
 - x. पूरी क्षति अवधि में उसी अवधि में बढ़ती हुई मांग के बावजूद क्षमता 100 सूचकांक पर रही है। मांग को पूरा करने में घरेलू उद्योग की असमर्थता के मद्देनजर कोई पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से विचाराधीन उत्पाद की कम आपूर्ति की संभावना होगी।
 - xi. यूएपीएल और यूआरएमपीएल भारत को विचाराधीन उत्पाद (पीक्यू द्वारा विनिर्मित) की बिक्री के लिए बीजक चैनल भी लगे हुए हैं। जिससे वे सामानों की वास्तविक सुपुर्दगी में नहीं लगे हुए हैं। परिणामस्वरूप यूएपीएल और यूआरएमपीएल ने कोई बिक्री और वितरण खर्च नहीं किए हैं। इसके बावजूद यह प्रतीत होता है कि प्राधिकारी ने निर्यात कीमत निकालने के लिए बिक्री और वितरण समायोजन किए हैं जिससे निर्यातक द्वारा निर्धारित और प्राधिकारी द्वारा परिकलित निर्यात कीमत में विशिष्ट अंतर हैं।
 - xii. प्राधिकारी ने बीजक पर *** प्रतिशत का अतिरिक्त समायोजन किया है जो पूरी तरह से अनपेक्षित है और रिकॉर्ड में रखे गए आंकड़ों तथा प्राधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित आंकड़ों के विपरीत है।
 - xiii. पीक्यू के परिकलनों के अनुसार उत्पादन लागत प्राधिकारी द्वारा प्रकट की गई उत्पादन लागत से भिन्न है। यदि पीक्यू द्वारा दावा की गई उत्पादन लागत में प्राधिकारी द्वारा कोई समायोजन किए गए हैं तो प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे गोपनीय उत्पादन लागत निकालने के लिए परिकलन तालिका को साझा करें।
 - xiv. एचयूएल निकटतम स्थान अर्थात् चीन जन.गण. और थाइलैंड से विचाराधीन उत्पाद की खरीद करना बेहतर मानता है। चीन जन. गण. से आयातित विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क हैं। यदि चीन जन गण पर पाटनरोधी शुल्क जारी रहते हैं (चीन से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में समानांतर पाटनरोधी जांच में) और/अथवा थाइलैंड से विचाराधीन उत्पाद पर लगाए जाते हैं तो निचले स्तर के उत्पादक आपूर्ति के अन्य स्रोत देखने के लिए मजबूर होंगे।
 - xv. एफएमसीजी के उत्पादन की बिक्री में विशेष रूप से ग्रामीण बाजारों में काफी गिरावट आई है। मात्राओं में गिरावट व्यापक रूप से ऐसे उत्पादों की बढ़ी हुई कीमतों (जो 2 से 5 प्रतिशत की रेंज में हैं) के कारण

है, जिसके मुद्रास्फीति सहित कई कारण हैं। ऐसी स्थिति में यहां तक कि थोड़ी सा भी कीमत वृद्धि सामान्य व्यक्ति के पहले से ही दबी हुई क्रय शक्ति पर अतिरिक्त भार डालेगी।

- xvi. घरेलू उद्योग की मांग को पूरा करने की अक्षमता के मद्देनजर किसी प्रकार से पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से विचाराधीन उत्पाद की कम आपूर्ति होने की संभावना होगी। दूसरे शब्दों में संबद्ध देशों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कच्ची सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता के अभाव के कारण भारतीय उद्योग के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है।

8.2 घरेलू उद्योग के विचार

96. घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात की गई टिप्पणियां निम्नानुसार हैं :-

- i. चीन से “शीट ग्लास” से आयातों के संबंधमें पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा में डीजीटीआर ने माना कि शुल्क सीमाशुल्क शीर्षों के बजाए उत्पाद अथवा संबद्ध सामान की तुलना में लगाए जाते हैं। इस प्रकार, प्राधिकारी को शुल्क तालिका में विचाराधीन उत्पाद के एच एस कोड वर्गीकरण में 38249090, 38249990, 28429090, 28269000 और 28399090 शामिल करना चाहिए जो वे कोड थे जिनके तहत चीन के विरुद्ध मूल जांच में नोट किए गए अनुसार पूर्व में सामान लगाए गए हैं।
- ii. शुल्क तालिका में ईरान और यूएई दोनों को शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि भारतीय सीमाशुल्क के आंकड़े यूएई के मूल के रूप में सामान दर्शाते हैं।
- iii. घरेलू उद्योग को आयातों से वास्तविक क्षति हुई है। इसके अतिरिक्त, अन्य कोई कारक नहीं है जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।
- iv. निर्धारित एनआईपी बहुत कम है जिससे अपर्याप्त क्षति मार्जिन बन रहा है। कच्ची सामग्री का उपयोग और यूटिलिटियों के उपयोग पर इस कारण विगत में सर्वोत्तम प्राप्त स्तरों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए कि परिकलन में वृद्धि का कारण उन आयातों का अदक्ष उपयोग नहीं है। इसके अतिरिक्त प्राधिकारी के लिए वास्तविक उत्पादन लागत निर्धारित करना अपेक्षित है न कि नोशनल कम उत्पादन लागत। नियोजित पूंजी निर्धारित परिसंपत्तियों के वर्तमान मूल्य पर विचार करके अथवा निर्धारित परिसंपत्तियों की कम से कम सकल मूल्य पर निर्धारित की जानी चाहिए।
- v. भारत ने समान उत्पाद के अंतिम प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं पर शुल्कों का प्रभाव न्यूनतम है। संबद्ध सामान का प्रयोग एरियल, सर्फ एक्सल, टाइड आदि जैसे प्रीमियम डिटरजेंट ब्रांडों द्वारा ही किया जाता है। बहुत से कम लागत वाले डिटरजेंट पावडरों का प्रयोग (जो व्यापक रूप से जनता द्वारा खपत के उत्पाद हैं,) सिंथेटिक जियोलाइट कतई नहीं करता।
- vi. जियोलाइट का प्रयोग प्रीमियम ब्रांडों द्वारा किया जाता है जिनका डिटरजेंट सामान्यतः मशीन को धोने के लिए किया जाता है। प्रीमियम डिटरजेंट उद्योग अच्छे चलते आ रहे हैं जैसा कि हिंदुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट 2022 से देखा जा सकता है जो पिछले पांच वर्षों में उनके डिटरजेंट ब्रांडों की वृद्धि स्पष्ट रूप से उल्लिखित करती है। वस्तुतः एचयूएल अपने डिटरजेंट ब्रांडों के माध्यम से भारी लाभ कमाने में भी सक्षम था और वर्तमान में वे सुमेरपुर, उत्तर प्रदेश में नई डिटरजेंट विनिर्माण सुविधा स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं।
- vii. आवेदक के एक संबद्ध ने 25,000 मी.ट. तक की क्षमता का एक संयंत्र स्थापित किया है। उसने वित्तीय वर्ष 2023-2024 में उत्पादन पहले ही आरंभ कर दिया है। संबद्ध सामान की वर्तमान मांग 30,000 एम टी से कम है और यह अतिरिक्त क्षमता देश में वर्तमान और भावी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक होगी।
- viii. कुछ डिटरजेंट विनिर्माता समाज के विभिन्न वर्गों की पूर्ति के लिए डिटरजेंट के कई ब्रांडों का उत्पादन करते हैं जिनमें जियोलाइट को ही डिटरजेंट के प्रीमियम ब्रांड में जोड़ा गया है। प्रोक्टर एंड गेम्बल, हिंदुस्तान युनिलीवर लिमिटेड और निरमा लिमिटेड, जो जियोलाइट की खपत करते हैं, देश में सकल डिटरजेंट उत्पादन के लगभग 30 प्रतिशत हैं।

- ix. भारतीय उद्योग एमएसएमई क्षेत्र का है। विरोध से, उपभोक्ता बड़ी कंपनियां हैं। एमएसएमई का निष्पादन मेक्रोलेबल आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। शुल्क बंद करनेसे एमएसएमई उत्पादन की दीर्घावधिक अर्थक्षमता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी जिससे वे पाटित कीमतों पर आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर होंगे।
- x. डीजीटीआर को हाल ही में की गई चीन की जांच में डीजीटीआर द्वारा सिफारिश किए गए अनुसार पाटनरोधी शुल्क की निर्धारित मात्रा की सिफारिश करनी चाहिए। लगाए गए पाटनरोधी शुल्क से बचने के लिए प्रयास किए गए हैं और सीमाशुल्क पत्तन प्राधिकारियों के पास किसी आयातक द्वारा सूचित की गई आयात कीमत की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए तंत्र का अभाव है।
- xi. शुल्क अमरीकी डॉलर के संदर्भ में लगाया जाना चाहिए क्योंकि रूपए का काफी मूल्यहास हुआ है।

ठ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

97. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जांच की है और नोट करते हैं कि अधिकतर टिप्पणियां पुनरावृत्ति की हैं जिनकी पहले ही उपयुक्त रूप से जांच कर दी गई है और जिन्हें प्रकटन विवरण के संगत पैराओं में पर्याप्त रूप से हल कर दिया है। नए अनुरोधों की जांच निम्नलिखित रूप में की गई है :-

- i. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना और जांच परिणाम में रिकॉर्ड की गई सूचना में परिवर्तन हो गया है, यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना सत्यापन के अध्यक्षीन है और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना, सूचना के सत्यापन के बाद दी गई सूचना की जांच के आधार पर परिवर्तन होते हैं। विधिवत सत्यापित सूचना पर इस जांच परिणाम में विचार किया गया है।
- ii. आवेदन पत्र में दायर आयात आंकड़ों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि बाजार सूचना स्रोतों से प्राप्त आयात आंकड़े साझा नहीं किए जा सकते। आवेदन पत्र निर्धारित करते हुए इस संबंध में जारी व्यापार सूचना के साथ पठित नियम 5(2) के प्रावधानों के अनुसार आवेदन पत्र में आंकड़े दिए जा रहे हैं। अतः आयात आंकड़ों के संबंध में आयातक के गोपनीयता के दावे को प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया है। घरेलू उद्योग ने इसी तरह प्राधिकारी के साथ आयात आंकड़े साझा किए हैं। इसके अतिरिक्त प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस के लेनदेन वार आयात आंकड़ों को स्वीकार किया है और वर्तमान तथ्य प्राधिकारी द्वारा मांगे गए आयात आंकड़ों के आधार पर प्रकट किए गए थे। अन्य हितबद्ध पक्षकार आयात आंकड़ों के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते थे।
- iii. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि अन्य घरेलू उत्पादकों के उत्पादन की मात्रा और मूल्य तथा निर्यात बिक्री के लिए बिक्री लागत/बिक्री वसूली प्रकट नहीं की गई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता के लिए व्यापार सूचना 10/2018 के अनुसार सूचना प्रकट करना अपेक्षित है। याचिकाकर्ता ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा किए गए अगोपनीय आवेदन पत्र में सूचना के प्रकटन के संबंध में व्यापार सूचना की अपेक्षा का अनुपालन किया है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा किए गए गोपनीयता के दावों की जांच की है और संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है।
- iv. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि ईरान के विरुद्ध जांच की शुरुआत कानून में गलत है, क्योंकि आवेदन पत्र ईरान के विरुद्ध नहीं था और ईरान के लिए कोई सूचना नहीं दी गई थी, यह बात दोहराई जाती है कि रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों पर उचित रूप से विचार करने के बाद, जितने यूएई सरकार के साथ परामर्श शामिल हैं, प्राधिकारी ने ईरान के विरुद्ध जांच शुरू की। प्राधिकारी ने उस सूचना की जांच की जो ईरान से पाटन सुनिश्चित करने के लिए ईरान का सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए उपलब्ध थी। किसी भी उत्पादक ने जांच में उत्तर नहीं दिया है और इस प्रकार, जांच की शुरुआत के स्तर पर ईरान के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए अपनाई गई पद्धति इस अंतिम जांच परिणाम में लागू की गई है जो सकारात्मक पाटन और क्षति मार्जिन दर्शाता जा रहा है।
- v. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि ईरान को एक संबद्ध देश के रूप में माना जाना यूरोपीय संघ, जापान, कतर और संयुक्त अरब अमीरात से मेलामाइन के मामले में अपनाए गए दृष्टिकोण का विरोधाभासी है, यह नोट किया जाता है कि यहां तक कि जब यू ए ई सरकार ने यूएई में उत्पादन सुविधा न होना स्वीकार

किया था, तो यह साक्ष्य देने के लिए रिकॉर्ड में कोई सूचना नहीं लाई गई थी कि किस देश के सामानों की प्रवंचना की जा रही है। वर्तमान जांच में आवेदक ने यह दर्शाते हुए रिकॉर्ड में साक्ष्य रखा था कि ईरान में उत्पादक यू ए ई के माध्यम से सामानों का निर्यात कर रहा है। इस प्रकार रिकॉर्ड में पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर प्राधिकारी ने ईरान को एक संबद्ध देश के रूप में माना कहे।

- vi. रिकॉर्ड पर पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर प्राधिकरण ने ईरान को एक संबद्ध देश माना है। डीजीसीआईएंडएस डेटा में ईरान से निर्यात किए गए सामान को यूएई में उत्पन्न बताया गया है। इसलिए यूएई को मूल देश के रूप में निर्दिष्ट करना आवश्यक नहीं है। यदि आयात को संयुक्त अरब अमीरात में उत्पन्न होने की सूचना दी जाती है तो सीमा शुल्क अधिकारी माल की उत्पत्ति का सत्यापन कर सकते हैं।
- vii. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग ने खुद ही उल्लेख किया है कि उसका क्षमता उपयोग 100 प्रतिशत के निकट है यह नोट किया जाता है कि आवेदन पत्र के पैरा 74 में घरेलू उद्योग का अनुरोध गलत निर्मित किया गया है। घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है कि "जांच की अवधि में उद्योग द्वारा प्राप्त उच्चतम उपयोग 99.6 प्रतिशत था, जबकि जांच की अवधि के लिए रिकॉर्ड किया गया औसत उपयोग 88 प्रतिशत है। इस प्रकार, स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग लगभग 11 प्रतिशत अधिक का संभावित रूप से उत्पादन और बिक्री कर सकता था, यदि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के लिए नहीं"। इस प्रकार घरेलू उद्योग पूर्ण क्षमता पर उत्पादन करने में समर्थ था परंतु बाजार में पाटित आयातों के मद्देनजर ईष्टतम स्तर पर उत्पादन करने और बिक्री करने से उसे रोका गया था।
- viii. यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग को थाइलैंड उत्पादकों की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी होना चाहिए और अब भी उसे हानियां हो रही हैं, यह देखा जाता है कि थाइलैंड से अधिकतर बिक्री हानि प्रदत्त बिक्री हैं। किसी भी दशा में घरेलू उद्योग को उसकी मौजूदा स्थिति में देखा जाना चाहिए न कि आदर्श स्थितियों में जैसा कि निप्पोन जियोन निर्दिष्ट प्राधिकारी और विरको लेबोरेटरीज लिमिटेड बनाम वित्त मंत्रालय के मामले में माननीय सेस्टेट द्वारा भी माना गया है।
- ix. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग मार्च, 2020 और मई, 2020 के बीच कोविड 19 के दौरान बंद कर दिया गया था, यह नोट किया जाता है कि जांच की जांचावधि अप्रैल, 2021- मार्च, 2023 है, इस प्रकार, मार्च, 2020 से मई, 2020 में कंपनी की तथाकथित बंदी से जांचावधि में निष्पादन प्रभावित नहीं हुआ होता।
- x. जहां तक पाटन मार्जिन का परिकलन करते समय एसजीए के समायोजन संबंधी तर्क का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि चूंकि एपीएल और यूआरएमपीएल सामानों की बिक्री में लगे हुए हैं, अतः इन दो कंपनियों के बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक खर्चों के लिए इसका हिसाब लगाना आवश्यक है। एपीएल और यू आर एम पी एल ने कोई सूचना और दस्तावेज नहीं दिए हैं कि बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों जैसे ऊपरी खर्च इन कंपनियों द्वारा बिक्री क्रियाकलाप करने में नहीं किए गए हैं।
- xi. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि उत्तरदाता निर्यातक के लिए प्राधिकारी द्वारा मानी गई उत्पादन लागत भिन्न है, यह नोट किया जाता है कि पीक्यू के लिए उत्पादन लागत कंपनी द्वारा दी गई सूचना और प्राधिकारी द्वारा जांच की गई सूचना के आधार पर निर्धारित की गई है।
- xii. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि निर्धारित एनआईपी कम है, यह नोट किया जाता है कि एन आई पी का निर्धारण प्राधिकारी की विगत परिपाटी पर विचार करते हुए और नियमावली के अनुबंध-111 के अनुसार निर्धारित किया गया है।

ड. निष्कर्ष

98. उठाए गए तर्कों, किए गए अनुरोधों, दी गई सूचना और ऊपर रिकॉर्ड किए गए अनुसार प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और पाटन के जारी रहने/बार-बार होने की संभावना के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर तथा घरेलू उद्योग को परणामी क्षति के आधार पर प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:

- i. विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र चीन जन गण और यू एई के मूल के अथवा वहां से निर्यातितय” सिंथेटिक ग्रेड जियोलाइट 4-ए” है।
- ii. विचाराधीन उत्पाद सामान्य मूल्य से कम कीमत पर भारत को निर्यात किया गया है जिससे पाटन हुआ है।
- iii. पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक ही नहीं है बल्कि काफी है।
- iv. संबद्ध देश से आयात पूर्ण दृष्टि से तथा पूरी क्षति जांचअवधि के संदर्भ में बढ़े हैं।
- v. पूर्व में चीन पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से उद्योग लाभ कमा रहा था। तथापि, वर्तमान संबद्ध देशों से पाटन होने से 2019-20 से काफी हानियां हुई हैं। नकद लाभ और निवेश पर आय 2020-21 से नकारात्मक हो गई है और उसमें जांच की अवधि में और गिरावट आई है।
- vi. घरेलू उद्योग को हुई क्षति किसी अन्य ज्ञात कारक के कारण नहीं है।
- vii. संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से काफी कम है जो काफी क्षति मार्जिन और कम कीमत पर बिक्री दर्शाता है।
- viii. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना यह दर्शाती है कि पाटनरोध शुल्क लगाए जाने से उपभोक्ताओं अथवा निचले स्तर के उद्योग पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा।
- ix. इस प्रकार पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जनहित के विरुद्ध होगा।

ढ. सिफारिश

99. पाटनरोधी नियमावली के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच शुरू किए जाने और जांच किए जाने पर प्राधिकारी का यह मत है कि पाटन और परिणामी क्षति को समाप्त करने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता है। प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं।

100. अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त की जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से (5) वर्षों की अवधि के लिए नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर, संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं। इस प्रयोजन के लिए आयातों का पहुंच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमाशुल्क द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार और सीमा प्रशुल्क नियम 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9, 9क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सीमा शुल्कों के लागू स्तर पर निर्धारणीय मूल्य होगा।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष/ उप-शीर्ष	वस्तुओं का विवरण	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक/निर्यातक	शुल्क की राशि अम.डॉ./मी.ट
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	38249922 38249090 38249990 28429090	सिंथेटिक ग्रेड जियोलाइट 4ए	थाइलैंड	थाइलैंड सहित कोई भी देश	पीक्यू कैमिकल्स (थाइलैंड) लि.	54.09

	28269000 28399090 28421000					
2	-वही-	-वही-	थाइलैंड	थाइलैंड सहित कोई भी देश	आर ओ डब्ल्यू(1) के अलावा अन्य कोई	92.55
3	-वही-	-वही-	थाइलैंड और ईरान के अलावा कोई भी देश	थाइलैंड	कोई	92.55
4	-वही-	-वही-	ईरान	ईरान	कोई	179.96
5	-वही-	-वही-	ईरान	ईरान के अलावा कोई भी	कोई	179.96
6	-वही-	-वही-	ईरान और थाइलैंड के अलावा कोई भी देश	ईरान	कोई	179.96

ध्यान दें: यदि आयात को संयुक्त अरब अमीरात में उत्पन्न होने की सूचना दी जाती है तो सीमा शुल्क अधिकारी विषय वस्तु की उत्पत्ति का सत्यापन कर सकते हैं।

101. इस प्रयोजन के लिए आयातों का पहुंच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमाशुल्क द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार और सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 3, 38, 9, 94 के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सीमाशुल्कों के लागू स्तर पर निर्धारणीय मूल्य होगा।

ण. आगे की प्रक्रिया

102. इस जांच परिणाम में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण/समीक्षा के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department Of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2023

Final Findings

Case No – CVD(OI) – 04/2024

Subject: Anti-dumping Investigation concerning imports of "Synthetic Grade Zeolite 4A" originating in or exported from Iran and Thailand.

A. BACKGROUND OF THE CASE

F. No. 06/5/2022-DGTR.—1. M/s Gujarat Credo Mineral Industries Limited (hereinafter referred to as the "applicant" or the "domestic industry") filed an application in the form and manner prescribed before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred as the "Act") and the Customs Tariff (Identification Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred as the "Rules"), for initiation of an anti-dumping investigation and imposition of anti-dumping duty on imports of "Synthetic Grade Zeolite 4A" (hereinafter also referred to as the 'subject goods' or the 'product under consideration') originating in or exported from Iran and Thailand (hereinafter also referred to as the "subject countries").

B. PROCEDURE

2. The procedure described below has been followed with regards to the investigation.
- i) The Authority, *vide* Notification No. F. No. 6/05/2022-DGTR dated 30th September 2022 published a public notice in the Gazette of India, Extraordinary, initiating an anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject countries.
 - ii) The Authority forwarded a copy of the public notice along with the questionnaires to the Embassies of the subject countries in India, all known exporters, importers and users (whose details were made available by the applicant) and gave them the opportunity to make their views known in writing in accordance with Rule 6(2) of the AD Rules. They were advised to reply within thirty days from the date of publication of the notification or from the date of letters.
 - iii) The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known exporters and the Embassies of the subject countries in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules. A copy of the application was also provided to the other interested parties, as requested.
 - iv) The Authority sent questionnaires to elicit relevant information to the following known producers/exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:

SN	Name of known producer	SN	Name of known producer
1.	V.C.S. Supply Company Limited	2.	P.Q. Chemicals Thailand Ltd.
3.	Thaisilicate Chemicals Company Ltd.	3.	Zettachem International
5.	Behdash Chemical Co.		

- v) PQ Chemicals (Thailand) Ltd. producer/ exporter from Thailand, and M/s. Unilever Asia Private Limited("UAPL"), Singapore and M/s. United Raw Material Pte Ltd ("URMPL"), Singapore has filed the Exporter's Questionnaire Response.
- vi) Questionnaires were also sent to the following known importers/ users of the subject goods in India seeking necessary information in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:

SN	Name of known importer/user	SN	Name of known importer/user
1	M/s Procter & Gamble Home Products Private Limited	2	M/s A L A Chemicals Private Limited
3	M/s Aaditya Finechem Pvt. Ltd.	4	M/s Soneko Marketing Private Limited
5	M/s Agarwal Minerals	6	M/s Prevest Denpro Limited
7	M/s Basil Prompt Vinyl Private Ltd.	8	M/s Platinum Industries Limited Liability Partnership
9	M/s Baerlocher India Additives Private Limited	10	M/s Sudarshan Minchem Limited
11	M/s Associated Stabplast & Chemicals	12	M/s Saan Global Limited

13	M/s Bhawani Chemicals	14	M/s Shrestha Chemicals Private Limited
15	M/s Indo Reagens Polymer Additives Private Limited	16	M/s Subray Catal Chem Private Limited
17	M/s Jyoti Vinyl Limited	18	M/s Vaaghani Inc.
19	M/s Galata Chemicals India Private Limited	20	M/s Shri Sai Network Private Limited
21	M/s Lalitha Chem Industries Private Limited	22	M/s Nirmesh Enterprises Private Ltd.
23	M/s Globelark Corporation LLP	24	M/s Stabplast Chemo Industries Private Limited
25	M/s Faith Industries Limited	26	M/s Oham International
27	M/s Indofil Industries Limited	28	M/s Manav Globaltrade
29	M/s Platinum Industries Private Limited		

- vii) M/s Sudarshan Minchem Ltd., importer of the subject goods in India filed an importer questionnaire response. The user questionnaire response is filed by only Hindustan Unilever Limited.
- viii) The Authority subsequently sent economic interest questionnaire to all interested parties and the concerned ministry. The Authority extended the deadline for filing EQR/IQR/UQR to 25th November 2022 and then further extending it to 28th November 2022. Economic Interest questionnaire was filed by the following:
- PQ Chemicals (Thailand) Ltd. (producer/exporter)
 - Unilever Asia Private Ltd. (Trader)
 - United Raw Material Pte Ltd. (Trader)
 - Sudarshan Minchem Ltd
 - Hindustan Unilever Limited.
- ix) The Authority further notes that no responses have been filed by exporters/producers from Iran even after multiple opportunities by way of extensions were provided by the Authority.
- x) The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of such claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xi) Further information was sought from the applicant to the extent deemed necessary.
- xii) Verification of the domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the present investigation.
- xiii) The non-injurious price (hereinafter referred to as 'NIP') based on the cost of production and the cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry, maintained as per Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), has been worked out so as to ascertain whether the present anti-dumping duty is sufficient to remove injury to the domestic industry.
- xiv) The period of investigation for the purpose of the present review is 1st April 2021 to 31st March 2022 (12 months) (hereinafter referred to as the "period of investigation" or "POI"). The injury analysis period included the period of investigation and the preceding three years, 2018-19, 2019-20 and 2020-21.
- xv) In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, the Authority provided opportunity to the interested parties to present their views during the oral hearing held on 10th March 2023. The interested parties were requested to submit their rejoinder submissions by 24th March 2023 at the latest. The Authority had granted extension to rejoinder submissions by 28th March 2023.
- xvi) The submissions made by the interested parties to the extent considered relevant by the Authority have been addressed in this final finding.
- xvii) In accordance with Rule 16 of the Rules, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide disclosure statement dated 21st September, 2023 and comments received thereon, considered relevant by the Authority, have been addressed in these final findings. The Authority notes that most of the post disclosure submissions made by the interested parties are mere reiteration of their earlier submissions. However, the post disclosure submissions to the extent considered relevant are being examined in these final findings.
- xviii) Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded its observation on the basis of the facts available.
- xix) *** in this final finding represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.
- xx) Exchange rate considered for the POI for conversion of USD to Indian Rupees is 1 USD = **Rs. 75.37**.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE**C.1 Views of the other interested parties**

3. No submission has been made by other interested parties with regard to the scope of the product under consideration (PUC) and like article.

C.2 Views of the domestic industry

4. The domestic industry has made the following submission with regard to the scope of the product under consideration and like article:
- i) The product under consideration in the present application is 'Synthetic Grade Zeolite 4A' also known as 'Zeolite 4A'.
 - ii) Zeolites are microporous crystalline solids with well-defined structures. Generally, they contain silicon, aluminium and oxygen in their framework and cations, water and/or other molecules within their pores. Many occur naturally as minerals and are extensively mined in many parts of the world. Others are synthetic and are made commercially for specific uses in various industries. The general formula of Zeolite is given as $\text{Na}_x[(\text{AlO}_2)_x(\text{SiO}_2)_y] \cdot z\text{H}_2\text{O}$
 - iii) The PUC functions as a detergent builder primarily as a water softener resulting in softening of water, which requires less soap for the same cleaning effort, as soap is not wasted mopping up calcium ions.

C.3 Examination by the Authority

5. The product under consideration in the present investigation is "Synthetic Grade Zeolite 4A" also known as "Zeolite 4A".
6. Zeolite is micro porous crystalline solids with well-defined structures. Generally, they contain silicon, aluminum, and oxygen in their framework and cations, water and/or other molecules within their pores. They also occur naturally as minerals and are extensively mined in many parts of the world. Others are synthetic and are made commercially for specific uses in various industries.
7. Synthetic Grade Zeolite 4A which is mainly used in detergents as a builder. The molecular structure of Synthetic Grade 4A is given as: $\text{Na}_{12}[(\text{AlO}_2)_{12}(\text{SiO}_2)_{12}] \cdot 27\text{H}_2\text{O}$.
8. The product under consideration is classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), under sub-heading of the custom classification 2842 1000. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING**D.1 Views of the other interested parties**

9. No submission has been made by other interested parties with regard to the domestic industry and the standing.

D.2 Views of the domestic industry

10. The domestic industry has made the following submissions with regard to the domestic industry and the standing:
- i) The application has been filed by M/s Gujarat Credo Mineral Industries Limited (GCMIL).
 - ii) The applicant has neither imported the subject goods from the subject countries nor are they related to any importer in India or producer/ exporter from the subject countries.
 - iii) There is one more producer of the subject good in India, M/s Chemical India.
 - iv) The applicant constitutes 'a major proportion' of the total Indian production according to Rule 2(b).

D.3 Examination by the Authority

11. Rule 2(b) of the AD Rules defines domestic industry as under:

"(b) 'domestic industry' means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' must be construed as referring to the rest of the producers"

12. The application has been filed by M/s Gujarat Credo Mineral Industries Limited (GCMIL). There is one more producer of the subject good in India, M/s Chemical India. The Authority notes that the production of the applicant constitutes around ***% of the total domestic production of the subject goods in India. Further, information on record shows that the applicant has not imported the subject goods and are neither related to an importer or

exporter thereof. The applicant company is thus, eligible, domestic industry within the meaning of the Rule2(b) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule5(3) of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY

E.1 Views of the other interested parties

13. Following submissions have been made by other interested parties regarding confidentiality:

- i) The exporter has endeavoured to file all the relevant data in its questionnaire response in the prescribed form and manner. However, the averments made by the petitioner in written submissions regarding this, are baseless.
- ii) The petitioner has claimed excessive confidentiality on the following aspects – manufacturing process, volume and value of production, average industry norm with respect to capacity utilization, productivity per day, inventory and PBIT as % of average capital employed, sales quantity, sales value, sales realization for export and captive consumption.
- iii) No excess confidentiality is being claimed by the exporter.
- iv) Trade Notice No. 10/2018 does not require the user to disclose details of all units linked to the PUC in India, list of products sold, reasonable summary of the production process for products manufactured using the PUC, information pertaining to utilization details of the PUC.
- v) No excess confidentiality is being claimed by the user.

E.2 Views of the domestic industry

14. The domestic industry has made the following submissions with regard to confidentiality:

- i) The responding exporter from Thailand has claimed excessive confidentiality in filing the questionnaire responses.
- ii) The responding exporter has failed to disclose the information related to the nature of relation with related parties, employment, productivity, inventory, cost of sales per unit in both domestic and export sales, profitability etc.
- iii) The only responding producer from Thailand has failed to disclose the details of related parties, employment, inventory, cost of sales per unit in both domestic and export sales, profitability etc.
- iv) The only responding importer has failed to provide complete data regarding the volume and value of import of the subject goods.
- v) The responding importer also failed to disclose the details of related parties, sales realization per unit, inventory, cost of sales per unit, profitability, and purchase quantity.
- vi) The only responding user has failed to provide the details of all units linked to the PUC in India, list of products sold by the company, reasonable summary of the production process for products manufactured using the PUC, utilization details of PUC etc. in their questionnaire responses.

E.3 Examination by the Authority

15. Various submissions have been made by the applicant as well as the other interested parties during the course of the investigation with regard to confidentiality, to the extent considered relevant by the Authority, have been examined below.

16. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Rules provides as follows:

- "Confidential information : (1) Notwithstanding anything contained in sub-Rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, and sub-rule (4) of rule 15, and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of the investigation shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorisation of the party providing such information.*
- (2) The designated authority may require the party's providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.*
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."*

17. The Authority considers that any information which is by nature confidential (for example, because its disclosure would be of significant competitive advantage to a competitor or because its disclosure would have a significantly adverse effect upon a person supplying the information or upon a person from whom that person acquired the information), or which is provided on a confidential basis by the parties to an investigation shall, upon good cause shown, should be treated as such by the Authority. Such information cannot be disclosed without the specific permission of the party submitting it.

18. The Authority has considered the claims of confidentiality made by the applicant and the other interested parties and on being satisfied about the same, the Authority has allowed the claims on confidentiality. The Authority made available to all the interested parties the non- confidential version of evidence submitted by various interested parties for inspection.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

F.1 Views of the other interested parties

19. The other interested parties have made the following miscellaneous submissions:

- i) The present initiation failed to examine the accuracy and adequacy of the evidence provided in the petition. The Authority initiated the investigation against Iran for whom no dumping margin claims have been made in the petition and is in violation of Rule 5 of AD Rules.
- ii) The efforts made by the petitioner was to find the domestic prices and export prices for UAE, however, the Authority recorded that the efforts made by the petitioner was for determining the domestic price and export price of Iran.
- iii) The petitioner in the written submissions have provided a comparison of import behaviour (price and volume) of the subject goods in the last ten years. However, such behaviour is to be assessed only for injury period of the present investigation.
- iv) Even if the petitioner is in the process of setting up a plant to ramp up the production of the PUC, the same cannot be a ground for the petitioner to seek protection of duties, especially considering the absolute lack of causality in the underlying facts.
- v) On account of past behaviours of the petitioner, the user industry continues to have apprehensions on whether the petitioner will be able to cater the demand for the PUC in India.
- vi) The petitioner has made no claims of dumping against one subject country (Iran) in the petition. Despite which, the Authority has initiated the present investigation against Iran. *prima facie* assessment of dumping from Iran and initiation is not based on evidence in the petition.
- vii) Initiation is in violation of Rule 5 of ADD Rules and is bad in law.

F.2 Views of the domestic industry

20. The domestic industry has made the following miscellaneous submissions:

- i) The applicant has claimed that the subject goods originating in Iran are however being exported from UAE. The export price from UAE itself is the export price for Iran as the Iranian origin goods were exported by UAE.
- ii) Regarding the argument of no claim of dumping margin, the applicant stated that, the applicant had clearly submitted in the letter dated 28th September 2022 that while it understands that the producer in Iran is exporting the product to India, it has no documentary evidence to show that it is exporting.
- iii) Examining the adequacy and accuracy of the information provided in the application, the Authority had considered the issue of UAE and Iran extensively and thereafter decided to initiate the investigation against Iran.
- iv) All the information provided by the applicant and considered relevant by the Authority for the purpose of initiation of the investigation is in the non-confidential version of the application shared.
- v) The domestic industry is not able to utilise its existing capacity to the fullest. Further, its related party is also expanding production capacity which will be sufficient to cater the demand.
- vi) Demand supply gap does not give license to dumping. In fact, demand supply gap generally leads to better prices. However, presence of dumped imports has prevented the domestic industry from making even reasonable profits.

F.3 Examination by the Authority

21. The miscellaneous submissions by the interested parties to the extent found relevant have been addressed below:

- i) In reference to the submissions made on the application lacking justification for initiation of the present investigation as there was no information on normal value and export price from Iran in the application,

it is noted that the applicant had submitted in its application and subsequent submissions that there are no producers of the subject goods in UAE and the goods are, in fact, produced in Iran. It had provided the name of the producer in Iran in the application. Prior to initiation of the investigation a consultation was held with the UAE government to ascertain the production of the subject goods in UAE. It was communicated that there is no production facility for the subject goods in UAE. Thus, based on the information on record, at the stage of the initiation, the Authority initiated the case against Iran as a subject country. There was no information available at the stage of initiation on normal value prevailing in Iran or UAE and thus the normal value was constructed based on the costs of the domestic industry, duly adjusted as the best available information. Further, the export price from UAE was considered as the export price of the subject goods for Iran as the goods were merely transshipped from UAE.

- ii) In regard to the argument that there is demand supply gap in the country, the Authority notes that indeed there is a demand supply gap and thus imports is a necessity in the market. However, demand supply gap does not justify dumping. Further, the domestic industry is not able to produce and sell at optimum level despite demand being higher than the capacity. Situation of demand supply gap should have encouraged the industry to produce and sell at optimum level at profits. However, the injury analysis shows that the production although increased, is not at optimum level and the sales are being made at a loss. Notwithstanding the fact the imposition of duties does not restrict imports, it is noted that the domestic industry's related party is establishing production capacity to the extent of (25,000 MT) which will also take care of the present and likely demand.

G. ASSESSMENT OF CONTINUATION OF DUMPING AND DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

G.1 Views of the other interested parties

22. The other interested parties have made the following submissions with regard to the normal value, export price and dumping margin:

- i) The constructed normal value based on costs of domestic industry and constructed export price based on volume and value of imports determined for Thailand is not justified and there is no indication that the cost is reflective of the costs in Thailand. No credible evidence has been provided for the adjustments made for determining the net export price preventing a meaningful analysis of the interested parties. No claims of normal value and export price were made with regard to Iran.
- ii) With regard to Thailand, the petitioner does not provide any explanation on the efforts made to obtain domestic prices of the subject goods within and the export prices from Thailand for determining normal value.
- iii) The normal value has not been justified so as to reflect the situation in Thailand, it is based on the cost of the domestic industry.
- iv) No credible evidence substantiating adjustments regard to ex-factory export price have been provided, thereby preventing any meaningful analysis by interested parties.
- v) Regarding Iran, no claims concerning normal value and export price have been made in the petition.
- vi) The petitioner cannot be allowed to make belated claims concerning dumping and injury for Iran after the initiation of the investigation.
- vii) Initiation is based on a deficient petition where no claims on Iran exist, warranting the termination of the present investigation.

G.2 Views of the domestic industry

23. The submissions of the domestic industry with regards to the normal value, the export price and the dumping margin, are as follows:

- i) The applicant made efforts to get evidence on the price of the product concerned in the domestic market of the subject countries by engaging with customers to procure price quotations from their domestic markets and through published sources. However, no publication was found.
- ii) The prices are transacted between the producer and consumers and therefore are not in the public domain. Thus, no reasonable, authentic, and accurate information could be obtained from published sources about the actual transaction-selling price of the PUC in the domestic markets of the subject countries.
- iii) The applicant was also unable to gather data of representative price of the subject goods when exported from the subject countries to an appropriate third country.
- iv) The export price was determined considering the volume and value of imports for the POI as per the data procured from market intelligence in view of non-availability of DGCI&S data.

- v) Considering the normal value calculated by the applicant it is seen that the dumping margin so calculated is positive and significant.
- vi) It is evident that the producers/exporters from the subject countries are dumping the subject goods in India and injuring the domestic industry.
- vii) There is no significant difference in the technology adopted or the manufacturing process used for producing the subject goods or the raw material prices in Thailand, therefore the calculations are justified.
- viii) The Authority may verify information provided by the responding exporter and determine appropriate normal value.
- ix) The Authority, in the past, has considered country of origin reported under the import data as the subject country and the applicant while stating this practice of the Authority, considered UAE as the subject country in the present application.
- x) Regarding the argument of no claim of dumping margin the applicant stated that, the applicant had clearly submitted in the letter dated 28th September 2022 that while it understands that the producer in Iran is exporting the product to India, it has no documentary evidence to show that it is exporting.

G.3 Examination by the Authority

24. Under Section 9A(1)(c) of the Act, normal value in relation to an article means:
- i. *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - ii. *when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-*
 - (a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - (b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):*

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.
25. The Authority has sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority.
26. PQ Chemicals (Thailand) Ltd., M/s. Unilever Asia Private Limited ("UAPL"), Singapore and M/s. United Raw Material Pte Ltd ("URMPL"), Singapore have filed questionnaire response. The Authority notes the submission of interested parties and has evaluated the dumping margin and injury margin on the basis of response filed by the producer/exporter.

G.3.1 Determination of Normal Value

Determination of Normal Value for producers/exporters of Thailand

PQ Chemicals (Thailand) Ltd.

27. Based on the data filed by M/s. PQ Chemicals (Thailand) Limited ("PQ"), a producer of the PUC from Thailand, it is noted that during the POI, the domestic sales have been made to unaffiliated customers. The domestic sales were found to be in sufficient volumes when compared with exports to India.
28. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit-making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. If the profitmaking transactions are more than **%, all transactions in the domestic sales are to be considered for the determination of normal value, and in cases where profitmaking transactions are less than **%, only profitable domestic sales are to be taken into consideration for the determination of the normal value. In the present case, since the profitmaking

transactions are less than **%, the Authority has considered profitable transactions in the domestic market for the determination of the normal value.

29. The adjustments claimed on account of shipping cost, handling charges, inland freight, bank charges and credit costs have been accepted by the Authority.

Determination of Normal Value for producers/exporters of Iran

30. It is noted that the subject goods are originating in Iran and are merely being transhipped from UAE. The Authority had consulted with the UAE government to ascertain the production of the subject goods in UAE. It was confirmed that there is no production facility for the production of the subject goods in UAE. The domestic industry placed email communication from, one of the Iranian producers, namely, Behdash Chemical Co. which shows that the company is offering the product from Iran and exporting the same through its agent in UAE. The email communication also suggests that the company has been exporting to India regularly. In particular, the email communication states that [“.....We are exporting to India regularly. Payment: 100% cash in advance to our agent in Dubai”.]

31. None of the interested parties from Iran or UAE have responded, nor have any interested parties objected or placed evidence on record establishing that the subject goods are not originating in Iran. It is thus concluded that the goods being exported from UAE are the goods originating in Iran.

32. In the present case, the Authority notes that none of the producers/exporters from Iran has participated in the present investigation or filed questionnaire response. In the absence of cooperation from the producers/exporters of the PUC in Iran, the Authority is constrained to proceed on facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules, 1995 with regard to the determination of normal value for all non-cooperative producers/exporters from Iran. The Authority has, therefore, constructed the normal value for all non-cooperative producers/exporters from Iran on the basis of the cost of production of the domestic industry, duly adjusted with selling, general and administrative expenses, plus a reasonable profit. The constructed normal value so determined for producers/exporters from Iran is stated in the dumping margin table.

G.3.2. Export Price

Ex-factory export price for producers/exporters of Thailand

PQ Chemicals (Thailand) Ltd.

33. The Authority notes that PQ Chemicals (Thailand) Ltd. has exported a total quantity of ***MT, either directly or indirectly through exporters i.e., M/s. Unilever Asia Private Limited (“UAPL”) and M/s. United Raw Material Pte Ltd (“URMPL”) to Indian customers. The Authority, for calculating the export price has considered the data filed by the PQ Chemicals (Thailand) Ltd., UAPL, and URMPL. The adjustments claimed on account of shipping costs, ocean insurance, handling charges, bank charges, and other expenses have been allowed by the Authority. In addition, the Authority made adjustments to the export price on account of SGA expenses and any losses made on the sales of the PUC to arrive at the ex-factory export price at the producer’s level.

34. Accordingly, the export price for PQ Chemicals (Thailand) Ltd. has been determined based on the weighted average export price to India, and the same is shown in the dumping margin table.

Export Price for non-cooperating producers/exporters from Thailand

35. In respect of all other producers/exporters from Thailand who are treated to be non-cooperative, the Authority has determined normal value as per facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules. The questionnaire response filed by the Thai producer is considered for the purpose.

Ex-factory export price for producers/exporters of Iran

36. The Authority notes that none of the producers/exporters from Iran have participated in the present investigation or filed questionnaire response. In the absence of cooperation from the producers/exporters of the PUC in Iran, the Authority is constrained to proceed on facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules, 1995 with regard to the determination of export price for all non-cooperative producers/exporters from Iran.

37. The Authority has determined the export price after considering the volume and value of imports for the POI as per DGCI&S data. As noted above, the exports made from UAE are in fact goods originating in Iran, thus, the import volume and value for Iran have been considered as reported from UAE. Adjustments have been made for ocean freight, inland freight, insurance, handling charges, commission, and bank charges. The export price so determined is stated in the below – mentioned dumping margin table.

Determination of Dumping margin

38. Considering the normal value and the export price for the subject goods, the dumping margin for the subject goods from the subject countries have been determined as follows:

Dumping Margin Table

SN	Producers	Normal Value (US\$/MT)	Net Export Price (US\$/MT)	Dumping Margin (US\$/MT)	Dumping Margin (%)	Dumping Margin (Range %)
1	PQ Chemicals (Thailand) Ltd	***	***	***	***	10-20
2	Others	***	***	***	***	20-30
3	Iran	***	***	***	***	30-40

H. EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

H.1 Views of the other interested parties

39. The other interested parties have made the following submissions with regards to injury and likelihood of continuation or recurrence of injury:

- i) The petitioner's economic parameters have increased significantly in the POI as compared to the base year.
- ii) The petitioner has averred that capacity is not being utilised at optimum level. Contrary to which, the petitioner has acknowledged that it has achieved highest capacity utilisation in the POI.
- iii) The losses suffered by the petitioner in the POI may be higher than that suffered in the original investigation, however, it is unclear how the imports from Thailand are responsible for the same.
- iv) The prices of imports from Thailand increased at a much higher rate than the petitioner's costs and prices. Injury to the petitioner is on account of its own inefficiencies.
- v) The increase in market share must be assessed in consonance with the multifold rise in petitioner's exports of the subject goods. Had the petitioner not shifted its focus to exports market, its market share would have improved.
- vi) While the petitioner has claimed losses under Proforma IV A for the PUC and the written submission, the petitioner, in the financial statement for the year 2021-22, has reported that it had a profitable year.
- vii) There exists no price suppression or depression on account of imports from the subject countries. Alleged injury including alleged losses is due to factors other than the subject imports.
- viii) Any price injury claimed to be suffered by the domestic industry has no correlation with imports from the subject countries.
- ix) The petitioner has been able to change prices commensurately with changes in the cost of production.
- x) The cost of sales of the petitioner increased by 20 indexed points in the POI compared to the base year 2018-19. The selling price also increased by 19 indexed points during the same period. However, the landed price from Thailand increased 36 indexed points in the same period.
- xi) The petitioner's price and cost moved in tandem throughout POI, the price changed with change in cost throughout the injury period.
- xii) The profits of the petitioner have inexplicably plummeted – evidently not on account of subject imports from Thailand.
- xiii) Imports from the subject countries have not led to any volume injury to the petitioner.
- xiv) The petitioner's domestic sales have consistently increased during injury period.
- xv) Particularly, domestic sales of the petitioner have more than doubled during the injury period.
- xvi) Imports from non-subject countries (China PR) declined, whereby the imports from the subject countries increased, since users of the PUC had no other commercially viable option to meet their requirements.
- xvii) The domestic sales of the petitioner and other domestic producer increased significantly, clearly outpacing the increase in the demand of the subject goods.
- xviii) Increase in the imports of the subject goods from the subject countries is attributable to the decline in the imports from China PR.
- xix) There is no correlation between imports from Thailand and PBIT of the petitioner. Highest imports in 2019-20 coincided with highest PBIT for the petitioner.
- xx) The petitioner has provided comparison of market share in the POI of original investigation (where China was the subject country) and the market share currently held. Such an analysis should be only assessed for the injury period of the present investigation.

- xxi) The impact on market share in a different investigation for a different subject country has no bearing on the present investigation.
- xxii) In the injury period the petitioner has shown no signs of growth or increase in capacity, the capacity has remained constant as per the petitioner's information, despite increasing demand in same period.
- xxiii) Since the petitioner was unable to meet the demand of the PUC in India, the users were constrained to source the PUC from third countries like China PR and Thailand.
- xxiv) Reason for decrease in employment when the production and sale of the PUC increased in the injury period should be explained.
- xxv) The alleged injury, if any, suffered by the petitioner is on account of reasons other than imports from the subject countries.
- xxvi) The injury suffered by the petitioner, if any, is on account of several reasons including the COVID-19 pandemic, higher conversion costs, and higher working capital among others. The same cannot be attributed to the imports from the subject countries.
- xxvii) The petitioner has shifted focus from the domestic market to export markets. The petitioner's exports increased multi-fold i.e., *** times in the POI in comparison to the base year.
- xxviii) The petitioner shifting focus to exports markets has resulted in a quandary for user industry wherein the domestic producers are unable to meet the demand of the country and have increased exports, leaving low volumes for domestic sales.

H.2 Views of the domestic industry

40. The following submission were made by the domestic industry with regard to injury and causal link:
- i) The subject imports are causing injury to the domestic industry.
 - ii) Imports from other countries are either negligible or at abnormally higher prices or are already attracting anti-dumping duty.
 - iii) The demand has remained significant throughout the injury period. Further, there has been no changes in the pattern of consumption, trade restrictive practices, developments in technology, export performance, and performance of other products being produced and sold by the domestic industry.
 - iv) There is significant difference between the prices offered by the domestic industry and foreign producers, the dumped imports from the subject countries have increased significantly.
 - v) The significant price undercutting due to the subject imports have prevented the domestic industry from raising its selling price which led to price suppression and negative profits.
 - vi) The imposition of duty on China has led to decline in imports from China and led the domestic industry to increase its sales. However, the presence of dumped imports from Thailand have prevented the domestic industry from utilizing its capacity to the fullest.
 - vii) The significant imports from the subject countries have forced the domestic industry to sell at unremunerative prices leading to losses.
 - viii) The information on record with the Authority which has the actual figures show that the increase in exports by petitioner in the base year was inconsequential.
 - ix) Export sales are negligible (***)% in the POI as compared to the domestic sales as submitted in the confidential submissions.
 - x) The applicant's exports declined during the last 2 years of the injury period due to dumping by China in third countries.
 - xi) While, selling price and cost, both have increased, in a situation where the domestic prices were depressed in the past on account of dumping from China, the selling prices should have increased much more than the increase in cost of sales to come out of the ill effects of dumping from China.
 - xii) While the production, sales increased, the domestic industry continues to suffer losses, extent of which increased over the injury period. The domestic industry has not been able to sell at remunerative prices, despite check on Chinese dumping, owing to presence of dumped imports from the subject countries.
 - xiii) The subject imports are causing injury to the domestic industry.
 - xiv) The demand has remained significant throughout the injury period. Further, there has been no changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices, developments in technology, export performance, and performance of other products being produced and sold by the domestic industry.
 - xv) There is significant difference between the prices offered by the domestic industry and foreign producers, the dumped imports from the subject countries have increased significantly.
 - xvi) The significant price undercutting due to the subject imports have prevented the domestic industry from raising its selling price which led to price suppression and negative profits.
 - xvii) The information on record with the Authority which has the actual figures show that the increase in exports by petitioner in the base year was inconsequential.

H.3 Examination by the Authority

41. The Authority has taken note of the submissions made by the interested parties and has examined various parameters in accordance with the Rules after duly considering the submissions made by the interested parties. The injury analysis made by the Authority hereunder *ipsofacto* addresses the various submissions made by the interested parties.

42. Rule 11 of the Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.

43. As regards the claim that demand supply gap and other restraints such as rain, Covid 19 affected the supplier's ability to supply goods, it is noted from the information on record that the applicant-maintained inventories throughout the POI. The impact of Covid-19 has been quoted to be negligible in the annual report. It is further noted that the capacity utilization of the domestic industry is not utilized to its optimum. In any case, demand supply gap does not justify dumping of the subject goods.

44. As regards the argument that the plant operations of the applicant were impacted due to higher shipping, logistics and input costs, higher energy and coal prices, it is seen from the information on record that the cost of production of subject goods has increased. The increase in cost was primarily on account of increase in raw material prices. The selling price of the domestic industry, however, could not increase proportionately.

45. As regards the argument that the focus of the applicant has increased on exports, it is noted that the export sales by the applicant is negligible in relation to capacity, production, and sales.

46. As regards the submission that the domestic industry claims losses in the POI whereas the financial statement shows profitability, it is noted in this regard that the financial statement is not specific to the subject goods but pertains to the company as a whole. The domestic industry manufactures other products as well.

ASSESSMENT OF DEMAND/APARENT CONSUMPTION

47. The Authority has taken into consideration, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the domestic industry and all other Indian producers and imports from the subject countries as per DGCI&S data, and imports from all other sources. The imports for China have been considered based on the final finding issued by the Authority in the parallel sunset review investigation on imports of the subject goods from China, which was based on the response by the exporter.

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
Sales of Domestic industry	MT	***	***	***	***
	Index	100	133	134	187
Sales of Other Producer	MT	***	***	***	***
	Indexed	100	66	110	152
Imports from Subject Countries	MT	4,495	15,808	13,523	16,203
	Index	100	352	301	360
Imports from Country attracting duty-China PR	MT	***	***	***	***
	Index	100	8	12	4
Other countries import	MT	104	277	338	1,370
	Index	100	266	325	1,317
Total Demand	MT	***	***	***	***
Total Demand	Indexed	100	99	97	121

48. It is seen that the demand declined from the base year to 2020 – 21 and increased significantly thereafter in the POI.

VOLUME EFFECT OF DUMPED IMPORTS ON DOMESTIC INDUSTRY

a. Import Volumes and Share of Subject Countries

49. The effects of the volume of dumped imports from the subject countries as well as imports from other countries have been examined by the Authority as follows.

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
Import Volume	MT				
Volume from Thailand	MT	4495	15808	12905	14864
Volume from Iran through UAE	MT	-	-	618	1339
Imports from Subject Countries	MT	4,495	15,808	13,523	16,203
	Index	100	352	301	360
Imports from Country attracting duty-China PR	MT	***	***	***	***
	Index	100	8	12	4
Other countries	MT	104	277	338	1,370
	Index	100	266	325	1,317
Total Imports	MT	18,219	17,187	15,538	18,185
	Index	100	94	85	100
Subject imports in relation to					
Total imports	%	25%	92%	87%	89%
	Index	100	368	348	356
Indian production	%	***	***	***	***
	Index	100	300	225	200
Indian consumption	%	18%	63%	55%	53%
	Index	100	350	306	294

50. It is seen that:

- Imports from the subject countries increased significantly in 2019-20 from the base year, declined thereafter in 2020-21 and increased again in the POI. Imports have increased over the injury period by 260%.
- Share of Iran in imports were non-existent during the first two years of the injury period. However, imports started increasing from 2020-21 onwards.
- Imports from China which is attracting duty had declined significantly.
- Imports from the subject countries in relation to Indian production and consumption has increased over the injury period and is at significantly high level.

PRICE EFFECT OF DUMPED IMPORTS

51. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in normal course.

52. Accordingly, the impact on the prices of the domestic industry on account of dumped imports of the subject goods from the subject countries have been examined with reference to price undercutting and price suppression/depression, if any. For the purpose of this analysis the cost of sales and the net sales realization (NSR) of the domestic industry have been compared with the landed price of the subject imports from the subject countries.

a) Price undercutting

53. In order to determine, whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, price undercutting has been worked out by comparing the landed price of the subject imports with the selling price of the domestic industry during the injury period. The analysis for price undercutting is provided hereinunder:

Particulars	Unit	Thailand	Iran	Subject countries as a whole
Landed price of imports	Rs./kg	44	35	44
Net Selling Price	Rs./kg	***	***	***
Price Undercutting	Rs./kg	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***
	Range	0-10	10-20	0-10

54. It is seen that the landed value of subject goods from the subject countries is below the level of selling price of the domestic industry causing price undercutting.

b) Price Suppression/Depression

55. For the purpose of analysing price suppression and depression in the domestic market, the applicant has provided information about (a) unit cost of sales, (b) domestic selling price as is given in the table below.

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
Cost of Sales	Rs/kg	***	***	***	***
	Index	100	106	114	133
Selling price	Rs/kg	***	***	***	***
	Index	100	102	103	118
Landed price of imports	Rs./kg	33	34	35	44
	Index	100	103	106	133

56. It is seen that the cost of sales has increased throughout the injury period. However, the domestic industry has not been able to increase its selling price corresponding to the increase in cost of sales. Further, the landed value of subject imports is significantly below the level of cost of sales throughout the injury period.

ECONOMIC PARAMETERS OF THE DOMESTIC INDUSTRY

57. Annexure II to the Rules provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all the relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth and the ability to raise capital investments. Accordingly, various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below:

a) Capacity. Production. Capacity Utilization and Sales

58. The Authority has considered capacity, production, capacity utilization and sales volume of the domestic industry over the injury period.:

Particulars	Units	2018-19	2019-20	2020-21	POI
Installed Capacity	MT	***	***	***	***
	Index	100	100	100	100
Production	MT	***	***	***	***
	Index	100	144	151	204

Capacity Utilization	%	***	***	***	***
	Index	100	144	151	204
Domestic Sales	MT	***	***	***	***
	Index	100	133	134	187

59. It is seen that:

- i) The capacity with the domestic industry has remained constant during injury period and POI as well as original investigation.
- ii) Production and capacity utilization of the domestic industry has increased over the injury period.
- iii) Sales of the domestic industry has also increased over the injury period.

60. The domestic industry has submitted that the increase in production and sales is at the cost of incurring losses.

b) **Market Share in Demand**

61. The market share of the subject imports and the domestic industry over the entire injury period was as follows:

Market Share in Demand	Units	2018-19	2019-20	2020-21	POI
Sales of Domestic Industry	%	***	***	***	***
	Index %	100	139	139	161
Sales of Other Indian Producers	%	***	***	***	***
	Index %	100	67	111	122
Imports from subject countries	%	***	***	***	***
	Index %	100	356	311	300
Import from country attracting duty-China	%	***	***	***	***
	Index %	100	9	13	4
Imports from Other Countries	%	***	***	***	***
	Index %	0	100	200	500
Total Demand/Consumption	%	100%	100%	100%	100%

62. The market share of the subject countries has increased significantly over the injury period and market share of China has declined. The domestic industry was able to increase its market share from ***% to ***% by increasing its production from the base year to the POI. It has been claimed by the domestic industry that despite existing duties on China, owing to continued dumping from other countries, the domestic industry has to contend itself with a market share of mere ***%.

c) **Profitability, Cash profits, and Return on Capital Employed**

63. The profit, profitability, cash profits, profit before interest (PBIT) and return on investment of the domestic industry over the injury period has been analysed as follows:

Particulars	Units	2018-19	2019-20	2020-21	POI
Cost of Sales	Rs/kg	***	***	***	***
	Index	100	106	114	133
Selling price	Rs/kg	***	***	***	***
	Index	100	102	103	118
Profit	Rs/kg	***	(***)	(***)	(***)

	Index	100	(84)	(347)	(495)
Profit	Rs. Lacs	(***)	(***)	(***)	(***)
	Index	100	(112)	(370)	(927)
Cash Profit	Rs. Lacs	***	***	***	(***)
	Index	100	84	49	(64)
Profit before interest and tax	Rs. Lacs	***	***	(***)	(***)
	Index	100	26	(68)	(216)
Return on Capital Employed	%	***	***	(***)	(***)
Index	Index	100	19	(57)	(205)

64. It is seen that
- The domestic industry was earning profits in the base year; however, it started incurring losses once again since 2019-20.
 - The cash profit of the domestic industry declined till 2020-21 and became negative in the POI.
 - The ROI of the domestic industry was positive in the base year, however, became negative since 2020-21.
- d) **Inventory**
65. The data relating to inventory position of the domestic industry over the injury period and the POI is given in the table below:

Particulars	Units	2018-19	2019-20	2020-21	POI
Opening stocks	MT	645	***	***	***
Closing stocks	MT	372	***	***	***
Average Inventories	MT	508	***	***	***
	Index	100	50	15	7

66. The Authority notes that level of inventories with the domestic industry declined till 2020-21 and increased marginally thereafter in the POI.

e) **Employment, Wages and Productivity**

67. The position with regard to employment, wages and productivity of the domestic industry is as follows:

Particulars	Units	2018-19	2019-20	2020-21	POI
No of employees	Nos.	***	***	***	***
	Index	100	97	90	85
Salaries & Wages	₹ Lacs	***	***	***	***
	Index	100	100	90	119
Productivity Per day	MT/Day	***	***	***	***
	Index	100	144	151	204

68. The Authority notes that the number of employees has declined and wages paid have increased over the injury period. Productivity per day has increased throughout the injury period with increase in production.

f) **Ability to raise capital investments**

69. It is seen that the domestic industry is incurring losses which indicates that the ability of the domestic industry to raise investments is limited.

g) **Magnitude of Dumping and Dumping Margin**

70. It is seen that the dumping margin from the subject countries is not only more than *de-minims* but also significant.

h) **Growth**

71. The information with respect to growth of the domestic industry is given below:

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
Production	Y/Y		0.44	0.05	0.35
Sales	Y/Y		0.33	0.01	0.40
Profit/loss	Y/Y		(2.12)	(2.30)	(1.51)
Cash profit	Y/Y		(0.16)	(0.41)	(2.30)

I. CAUSAL LINK AND OTHER FACTORS (NON-ATTRIBUTION ANALYSIS)

72. The Authority examined whether other factors listed under the anti-dumping rules could have caused injury to the domestic industry.

73. The Authority examined known factors other than the dumped imports and ascertained whether these are at the same time have been injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors, if any, is not attributed to the dumped imports. Factors which are relevant in this respect include, *inter alia*, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry.

a) **Volume and prices of imports from third countries**

74. It is seen that imports from China is attracting duty and imports from other countries are negligible.

b) **Contraction in Demand**

75. It is seen that demand for the product under consideration has increased over the injury period.

c) **Changes in pattern of consumption**

76. It is seen that there are no changes in the pattern of consumption for the product under consideration over the injury period.

d) **Conditions of competition and trade restrictive practices**

77. The Authority notes that the investigation has not shown any change in the conditions of competition or any trade restrictive practices.

e) **Developments in Technology**

78. It is seen that there are no significant changes in technology.

f) **Export performance of the domestic industry**

79. The Authority has considered data for the domestic operations only for the injury analysis. The exports form a small share of capacity, production throughout the injury period.

g) **Performance of other products**

80. The domestic industry has provided the injury data for the PUC and the same has been adopted by the Authority for the purpose of injury analysis. Performance of other products produced and sold by the domestic industry have not been considered.

J. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

81. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry and duly certified by the practicing accountant for the POI. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject countries for calculating injury margin. For determining the NIP, the best utilisation of the raw materials and utilities has been considered over the injury period. Best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses have been excluded from the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure III to the Rules.

82. Based on the landed price and the NIP determined as above, the injury margin as determined by the Authority is provided in the table below.

SN	Producers	Non-Injurious Price (US\$/MT)	Landed Price (US\$/MT)	Injury Margin (US\$/MT)	Injury Margin (%)	Injury Margin (Range %)
1	PQ Chemicals (Thailand) Ltd	***	***	***	***	20-30
2	Others	***	***	***	***	30-40
3	All producers from Iran	***	***	***	***	40-50

K. PUBLIC INTEREST

K.1 Views of other interested parties

83. The other interested parties have made the following submissions with regards to public interest:
- Levy of duties would not be in the public interest as this is detrimental to the interests of the downstream user industry of the PUC.
 - Users will face shortages, and higher prices should the duties be continued.
 - The PUC constitutes a key raw material used in production of detergents, indispensable product to the daily needs of consumers in India across sections of society.
 - Importance of personal hygiene products has become even more evident since inception of COVID-19 pandemic.
 - The levy of duties on the PUC for protecting the inefficient the domestic industry is not in the public interest.
 - The domestic industry's capacity is not sufficient to meet overall demand of the country, making imports of the PUC inevitable.
 - The petitioner failed to increase capacity despite significant rise in demand for the subject goods.
 - The imposition of anti-dumping duty with inability of the domestic industry to meet the demand, would likely lead to a shortage in supply of the PUC.
 - At several instances (including POI), petitioner has failed to supply the material in requisite quantities.
 - The PUC is a product with low density and is very voluminous. Ocean freight plays a critical role in determining source through which the PUC should be imported.
 - HUL prefers to purchase from the closest location which is China PR and Thailand.
 - The PUC imported from China PR is subject to anti-dumping duty, if the same is extended and anti-dumping duty is imposed on Thailand, users will be forced to look for other sources of supply.
 - There are no other sources of supply for the PUC readily available and close to India.
 - Decline in sales of FMCG products in rural areas is largely attributed to increased prices.
 - HUL's calculations indicate that even a continued levy of anti-dumping duty on the PUC would only add to the current inflationary effects being suffered by the common consumer.
 - Detergents also consume SLES/PAS (downstream product of Saturated Fatty Alcohol) which is currently subject to anti-dumping duties. If the duties are imposed on the PUC, the consumers would additionally to bear the price increase of both duties.

K.2 Views of domestic industry

84. The domestic industry has made the following submissions with regards to public interest:
- No adverse impact of anti-dumping duty on end users, average consumption of PUC in making downstream products is about ****% to ****% as compared to other major inputs.
 - Impact of existing duties on end-product as a percentage of selling price is just about ****%
 - The domestic industry has not increased its prices by quantum of anti-dumping duty.
 - The domestic industry has sought anti-dumping duty so that imports from the subject countries stop at unfair price.
 - No adverse impact of anti-dumping duties previously in force against China since December 2018.No evidence that the duties have adversely impacted the end user.

- vi. Growth of the detergent portfolio of HUL, which is a major user of Zeolite also suggests that the existing duties had little, if not, no adverse impact on the end customer.
- vii. The impact of duties if any, will not affect the entire detergent market as the PUC is used as a builder in top-end detergent brands, while cheaper brands refrain from using the PUC as a raw material.
- viii. The imposition of the anti-dumping duties is essential to ensure a level playing field in the Indian market, the viability of domestic production of the like article, and prevent India from becoming largely import reliant on the product.
- ix. The domestic industry is yet to utilize its production capacity to the optimum levels. With the imposition of duties on the subject countries, the domestic industry would be able to achieve its optimum capacity level and cater to the Indian market better.
- x. Presence of a vibrant domestic industry is essential to ensure a fair and competitive Indian market, which in its absence would be completely dominated by dumped imports.
- xi. Non-imposition of duty will adversely affect long term viability of MSME production by forcing them to compete with imports at dumped prices.
- xii. As stated in the applicant's Economic Interest Questionnaire the annual report of the user elaborates on how its detergent brands have grown over the past five years and are in the process of setting up new manufacturing facilities
- xiii. The trend of the volume decreases of FMCG products cited by the interested party is for the entire FMCG category and the extent to which this trend would remain the same for the detergent sector is not provided.
- xiv. A generic view of lower demand for FMCG products does not have any correlation to the investigation and should not be considered.
- xv. COVID-19 was a global phenomenon, the impact of COVID on operations of the applicant was negligible.
- xvi. The technical upgradation is a planned activity that every manufacturing entity must undertake to keep their production facility updated with the changing technology and to maximize its potential in an efficient manner.
- xvii. The affiliate company of the applicant is setting up a new plant having installed capacity of *** MT which would commence commercial production in the coming months. This capacity will be more than enough to cater to the current and future demand of the Indian industry.
- xviii. GCMIL has been successful in reducing the demand supply gap of the PUC in India to a large extent over the injury period and the same would be eliminated in the coming months.

K.3 Examination by Authority

85. The Authority notes that the purpose of imposition of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures does not aim to restrict imports from the subject countries in any way.

86. The Authority issued initiation notification inviting views from all the interested parties, including importers, consumers and others. The Authority also prescribed a questionnaire for the users/ consumers to provide relevant information about the present investigation including any possible effects of anti-dumping duty on their operations. The Authority issued gazette notification inviting views from all the interested parties, including importers, consumers and other interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the consumers to provide relevant information with regard to the present investigations, including effect of anti-dumping duty on their operations. The Authority sought information on, *inter-alia*, interchangeability of the product supplied by various suppliers from different countries, ability of the domestic industry to switch sources, effect of anti-dumping duty on the consumers, factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by imposition of anti-dumping duty.

87. The submissions made by the other interested parties with respect to the impact of the duty have been considered.

88. The Authority notes that there existed a huge demand-supply gap in India prior to the applicant entering the Indian market. It is seen that the applicant has set up this plant along with the Gujarat government *inter alia* to significantly bridge this gap. Post imposition of duties on China, the Indian industry was able to increase its production, and capacity utilization. Duties aided the domestic producer to maintain a 28% share in the market which was only 7% in the POI of the original investigation against China. Imposition of duties have led the industry to undertake fresh investment in order to bridge the demand-supply gap. The affiliate company of the applicant domestic industry has set up a capacity and has already started production in this financial year, i.e., 2023-2024. The capacities in Indian will be sufficient to cater the existing and future demand in the country. Further, the demand supply gap in

the country does not justify dumping. Further, antidumping duties does not restrict imports, it is imposed only to the extent necessary to ensure a level playing field for all the parties.

89. It is noted that the Indian producers of zeolite falls under MSME category. As the Authority has noted in other investigations involving MSME companies, that producers in this category are extremely susceptible to changes in the market conditions. The principles that govern large scale companies are not applicable in case of MSME companies. These companies do not benefit from economies of scale, or vast product profile, vast market base both domestic and export, and fine business/management skills, that are otherwise found in large-scale companies that help them in mitigating risks in the market. The subject goods is a commodity product, wherein the price is the deciding factor for the consumers. It may not be possible for a MSME producer, to not align their prices to the import prices. Therefore, despite the trends registered in raw material prices, if the imports are entering the Indian market at dumped prices, a MSME producer in order to survive will attempt to align its prices to import prices. Moreover, unlike any other MSME industry this industry is not fragmented and consists of only 2 producers of the subject goods. If duties cease, it is likely that these producers may not survive and the Indian industry may vanish entirely.

90. The Authority notes that, that the imports from the present sources were quite low in the original investigation conducted against imports from China. However, post imposition of the present duties, the subject countries resorted to dumping and increased their exports causing injury to the domestic industry.

91. There is no evidence to show that imposition of duties will have an adverse impact on the users/consumers. The recently concluded sunset review investigation on the imports of the subject goods also noted that imposition of duties on China did not have any adverse impact on the consumers. The domestic industry did not increase its prices by the amount of anti-dumping duty imposed on China. The user industry in the present investigation itself has shown the impact of anti-dumping duty in the range of 1-2%.

92. It is also noted that the zeolite 4A is primarily used in detergent which is used by the premium brands. Thus, the public at large does not use this product, only the premium brand users use detergents that consumes zeolite 4A. The domestic industry has submitted that almost 70% of detergent manufactures do not use zeolite 4A.

93. As regards the argument that imposition of duty on zeolite and saturated fatty alcohol will lead to adverse impact on the user, it is noted that the Authority had made an analysis in its findings on saturated fatty alcohol that anti-dumping duty on saturated fatty alcohol will not adversely impact the user industry. The imposition of duty on zeolite has also not shown any adverse impact on the user industry. Thus, there is no basis to claim that cumulatively the duties will have an adverse impact on user industry. The user has not even quantified or provided a basis for such contention.

94. The Authority has also examined the impact of the imposition of duty on the interests of the users. The Authority notes that the imposition of duty does not restrict imports, but only ensure that the goods are available at fair prices. The Indian industry has enhanced their capacities and can cater to almost the entirety of demand.

L. POST DISCLOSURE COMMENTS

L.1 Views of other interested parties

95. Post Disclosure comments made by the other interested parties is as follows:

- i. The exporter submits there are significant differences in the data recorded in the disclosure statement and the data previously placed on record by the domestic industry. The same casts doubt on the veracity of the information placed on record before the Authority for the purposes of the initiation.
- ii. The Authority must comply with the observations of the Hon'ble CESTAT and Trade Notice No. 01/2022 and provide or direct the domestic industry to provide the sorted and unsorted transaction-wise import data in excel form i.e., the form and manner in which it was taken on record. These proceedings cannot continue until the import data in the requisite form is made available to the exporter.
- iii. No reasonable timeline and opportunity were provided to provide meaningful comments to the interested parties and no extension was given despite making a request.
- iv. Non-disclosure of requisite data (*inter alia* including the volume and value of production of other domestic producers and cost of sales/sales realization for export sales) as per the aforesaid trade notice continues to prejudice the interested parties, whereby they are unable to analyze the requisite data and make any meaningful comments.
- v. Even if the domestic industry has provided the name of Iranian producers or stated that there are no producers of the PUC in UAE in the petition, it does not rectify the defect that there is no claim of dumping whatsoever against Iran in the petition. Despite the said deficiency, the Authority has initiated the present investigation against Iran. Hence, a *prima facie* assessment of dumping from Iran and the

initiation is not based on evidence in the petition. The initiation is therefore in violation of Rule 5 of Anti-dumping Rules and is bad in law

- vi. The petitioner has sought the present application for anti-dumping duties on imports from UAE and not Iran. However, contrary to past practice, the Authority in the initiation notification has identified Iran and not UAE as a subject country
- vii. The capacity utilization has moved from less than 50% in the base year to close to 100% in the POI as admitted at para 74 of the petition. Despite capacity utilization being nearly 100% i.e., at 99.6% in the POI. The Authority has arbitrarily observed that the production is not at optimum levels and that the sales are being made at losses.
- viii. While the domestic industry either produces/domestically procures its major raw materials for the production of the PUC (i.e., sodium silicate and aluminium trihydroxide), the producers in Thailand import some of these materials as they have no manufacturing units for these materials in Thailand. This would imply that the Thailand producers' procurement costs would be higher compared to the domestic industry. Despite this, the Thailand producers are able to sell to India at a profit.
- ix. As per a secondary source, the domestic industry was also shut down in the injury period on account of the COVID-19 pandemic.
- x. The capacity has remained at 100 indexed points throughout the injury period despite the increasing demand in the same period. In view of the inability of the domestic industry to meet the demand, any imposition of anti-dumping duties would likely lead to a short supply of the PUC.
- xi. UAPL and URMPL are involved only in the invoicing channel for the sales of the PUC (manufactured by PQ Chemical) to India, whereby it is not involved in the physical delivery of goods. Consequently, UAPL and URMPL have not incurred any selling and distribution expenses. Despite this, it seems that the Authority has made selling and distribution adjustments to arrive at the export price, whereby there are specific differences in the export price determined by the exporter and that calculated by the Authority.
- xii. The Authority has made an additional adjustment of ****% on the invoice which is totally unwarranted and contrary to the data placed on record and duly verified by the Authority.
- xiii. The cost of production as per PQ Chemical's calculations is different from that disclosed by the Authority. If any adjustments have been made by the Authority to the cost of production claimed by PQ Chemical, the Authority is requested to share the calculation sheet to arrive at the confidential cost of production
- xiv. HUL prefers to purchase the PUC from the closest location, i.e., China PR and Thailand. The PUC imported from China PR is subjected to anti-dumping duties. If anti-dumping duties continue on China PR (in the parallel anti-dumping investigation concerning the imports of the PUC from China) and/or are imposed on the PUC from Thailand, the downstream producers will be forced to look for other sources of supply.
- xv. The sales of FMCG products have declined significantly, particularly in the rural markets. The decline in the volumes is largely attributed to increased prices (which are in the range of 2% to 5%) of such products, which in turn has multiple causes, including inflation. In such situation, even a minor price increase would place an additional burden on the already-strained purchasing power of the common man.
- xvi. In view of the inability of the domestic industry to meet the demand, any imposition of anti-dumping duties would likely lead to a short supply of the PUC. In other words, the imposition of anti-dumping duties on the subject countries is likely to adversely affect the Indian industry due to the lack of adequate availability of raw materials at competitive prices.

L.2 Views of Domestic industry

96. Post Disclosure Comments made by the domestic industry are as follows:

- i. In sunset review of anti-dumping investigation concerning imports of 'Sheet Glass' from China, the DGTR held that the duties are imposed vis-à-vis a product or subject good, instead of on customs headings. Thus, the Authority should include 38249090, 38249990, 28429090, 28269000 & 28399090 in the HS Code classification of the PUC in the duty table which were the codes under which goods have been imposed earlier as noted in the original investigation against China.

- ii. The duty table must include both Iran and UAE as Indian custom data shows the goods as originating in UAE.
- iii. The domestic industry has suffered material injury from the imports. Further, there are no other factors that could have caused injury to the domestic industry.
- iv. The NIP determined is too low leading to insufficient injury margin. The raw materials utilization and utilities utilization should not be considered at the best achieved levels in the past for the reason that the cause of increase in the consumption is not inefficient utilization of such inputs. Further, the Authority is required determine actual cost of production and not a notional lower cost of production. Capital employed should be determined considering present value of fixed assets, or at the least gross value of fixed assets.
- v. The impact of duties on the end-users and consumers of the like product in India is minimal. The subject good is only used by premium detergent brands such as Ariel, Surf Excel, Tide etc. Many of the low-cost detergent powders (which are the product of consumption by the public at large) do not use synthetic zeolite at all.
- vi. Zeolite is used by premium brands whose detergent generally goes for machine wash. The premium detergent industries have been doing well as can be seen from the annual report 2022 of Hindustan Unilever Limited which clearly highlights the growth of their detergent brands in the past five years. In fact, HUL was also able to earn massive profits through their detergent brands and currently they are in the process of setting up new detergent manufacturing facility at Sumerpur, Uttar Pradesh.
- vii. Affiliate of the applicant has set up a plant with a capacity to the tune of 25000 MT. It has already started production in the financial year 2023-2024. The current demand of the subject good is under 30,000 MT and this additional capacity would be more than enough to cater to the current and future demand in the country.
- viii. Some detergent manufacturers produce multiple brands of detergents to cater to different sections of the society wherein zeolite is only added to the premium brand of detergents. Procter & Gamble, Hindustan Unilever Ltd. and Nirma Ltd. who consume zeolites, are about 30% of gross detergent production in the country.
- ix. The Indian industry belongs to the MSME sector. By contrast, the consumers are mega companies. MSME performance is critical for macro-level economic growth. Discontinuation of duty will adversely affect long term viability of MSME production by forcing them to compete with imports at dumped prices
- x. DGTR must recommend a fixed quantum of anti-dumping of duty as recommended by DGTR in the recently concluded China investigation. Attempts are made to evade anti-dumping duty imposed and the customs port authorities lack a mechanism to ensure correctness of import price reported by an importer.
- xi. The duty should be imposed in terms of US\$ as ₹ has depreciated significantly.

L.3 Examination by the Authority

97. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the domestic industry and notes that major comments are reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of the disclosure statement. New submissions have been examined as under:

- i. As regards the argument that the information submitted by the domestic industry and as recoded in the findings have changed, it is noted that the information submitted by the interested parties are subject to verification and information provided by the interested parties undergoes changes based on the scrutiny of information provided after verification of the information. The duly verified information has been considered in this finding.
- ii. As regards import data filed in the application, the Authority notes that import data received from market intelligence sources cannot be shared. The data is being provided in the application in terms of the provisions of Rule 5(2) read with the trade notice issued in this regard, specifying the application formats. Hence, the confidentiality claim of the applicant on the import data has been accepted by the Authority. The domestic industry has anyways shared the import data with the Authority. Further, the Authority has adopted transaction wise DGCI&S import data and the present facts were disclosed on the basis of import data called by the Authority. The other interested parties had could have offered their comments on the import data as per the disclosure statement.

- iii. As regards the argument that non-disclosure of volume and value of production of other domestic producers and cost of sales/sales realization for export sales, the Authority notes that a petitioner is required to disclose the information as per trade notice 10/2018. The petitioner has complied with the requirement of the trade notice on disclosure of information in the non-confidential application shared with the other interested parties. The Authority has examined the confidentiality claims made by the domestic industry, and on being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims.
- iv. As regards the argument that the initiation of investigation against Iran is bad in law as the application was not against Iran and no information was provided for Iran, it is reiterated that after due consideration of the facts, which involved consultation with the Government of UAE, the Authority initiated the investigation against Iran. The Authority examined the information that was available to determine normal value and export price of Iran to ascertain dumping from Iran. None of the producers have responded in the investigation and thus the methodology adopted to determine the normal value and export price for Iran, at the stage of initiation, has been applied in this final findings which continues to show positive dumping and injury margin.
- v. As regards the argument that consideration of Iran as a subject country is contradictory to the approach adopted in the matter of melamine from European Union, Japan, Qatar and United Arab Emirates. It is noted that even when the Government of UAE had admitted of lacking production facility in UAE, there was no information brought on record evidencing which country's goods were being circumvented in the present investigation, the applicant had placed on record evidence showing that the producer in Iran is exporting goods through UAE.
- vi. Based on sufficient evidence on record the Authority has considered Iran as a subject country. In the DGCI&S data, the goods exported from Iran have been reported as originating in UAE. It is therefore not necessary to specify UAE as country of origin. The customs authorities may verify the origin of goods in case imports are reported as originating in UAE.
- vii. As regards the argument that the domestic industry itself stated that its capacity utilisation is close to 100%, it is noted that the submission of the domestic industry at para 74 of the application has been misconstrued. The domestic industry had stated that "*The highest utilization achieved by the industry in the POI was 99.6% whereas the average utilization recorded for the POI is 88%. Thus clearly, the domestic industry could have potentially produced and sold around 11% more, if not for dumped imports from the subject countries*". Thus, the domestic industry was able to produce at full capacity but it was prevented from producing and selling at optimum level in view of dumped imports in the market.
- viii. It has been argued that the domestic industry should be more competitive as compared to Thailand producers and is still making losses, it is seen that majority of sales from Thailand are loss making sales. In any case, the domestic industry needs to be seen as it exists and not in the ideal conditions as has also been held by Hon'ble CESTAT in the matter Nippon Zeon vs DA and Virchow laboratories Ltd vs MoF.
- ix. As regards the argument that the domestic industry was shut down during COVID 19, in between March 2020 and May 2020, it is noted that the POI of the investigation is April 2021- March 2023, thus the alleged shut down of the company in March 2020 to May 2020 would not have affected the performance in the POI.
- x. As regards the argument on adjustment of SGA while computing dumping margin, it is noted that since UAPL and URMPL are involved in sales of the goods, it is necessary to account for selling, general & administrative expenses of these two entities. APL and URMPL have provided no information and documents that overhead expenses such as selling, general & administrative expenses are not incurred in undertaking sales activities by these entities.
- xi. As regards the argument that the cost of production considered by the Authority for the responding exporter is different, it is noted that the cost of production for PQ Chemical has been determined on the basis of information provided by the company, and examined by the Authority.
- xii. As regards the argument that the NIP determined is low, it is noted that the NIP has been determined considering the past practise of the Authority and as per Annexure III of the Rules.

M. CONCLUSION

98. Having regard to the contentions raised, submissions made, information provided and facts available before the Authority as recorded above and on the basis of the above analysis of likelihood of continuation/recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry, the Authority concludes that:

- i. The scope of the product under consideration is “Synthetic Grade Zeolite 4A” originating in or exported from Thailand and Iran.
- ii. The product under consideration has been exported to India at a price below the normal value, resulting in dumping.
- iii. The dumping margin is not only above *de-minimus* level but also significant.
- iv. The imports from the subject countries have increased in absolute as well as relative terms throughout the injury investigation period.
- v. Imposition of antidumping duties on China earlier had led the industry to earn profits. However, dumping of the subject goods from the subject countries have led to significant losses since 2019-20. The cash profit and ROI has become negative since 2020-21 and declined further in the POI.
- vi. The injury caused to the domestic industry is not on account of any other known factor.
- vii. The landed value of imports of the subject goods from subject countries is much below the non-injurious price of the domestic industry indicating significant injury margin/price underselling.
- viii. The information on record shows that the imposition of the anti-dumping duty will have minimal impact the consumers or the downstream industry.
- ix. The imposition of the anti-dumping duty thus will not be against the public interest

N. RECOMMENDATION

99. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury, and causal link in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, the Authority is of the view that imposition of the anti-dumping duty is required to offset the dumping and consequent injury. The Authority considers it necessary to recommend imposition of the anti-dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.

100. Having regards to the lesser duty rule followed, the Authority recommends imposition of antidumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries, equal to the amount mentioned in Col. 7 of the duty table appended below, for a period of five (5) years from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government. The landed value of the imports for this purpose shall be the assessable value as determined by the Customs under Customs Act, 1962 and applicable level of the customs duties except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A. of the Customs Tariff Act, 1975.

DUTY TABLE

S. No.	Heading/ Sub-heading	Description of goods	Country of origin	Country of Export	Producer/exporter	Duty Amount USD/MT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	38249922 38249090 38249990 28429090 28269000 28399090 28421000	Synthetic Grade Zeolite 4A	Thailand	Any country including Thailand	PQ Chemicals (Thailand) Ltd.	54.09
2	-do-	-do-	Thailand	Any country including Thailand	Any other than Row (1)	92.55
3	-do-	-do-	Any country other than Thailand and Iran	Thailand	Any	92.55
4	-do-	-do-	Iran	Iran	Any	179.96
5	-do-	-do-	Iran	Any other than Iran	Any	179.96
6	-do-	-do-	Any country other than Iran and Thailand	Iran	Any	179.96

Note: The customs authorities may verify the origin of subject goods in case imports are reported as originating in UAE.

101. The landed value of imports for this purpose shall be assessable value as determined by the customs under customs Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 38, 9, 94. of the Customs Tariff Act, 1975.

O. FURTHER PROCEDURE

102. An appeal against the determination/review of the Designated Authority in this final finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

ANANT SWARUP, Designated Authority